-15

000002

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 216वीं बैठक दिनांक 16.08.2012 को 3.00 बजे अपरान्ह में माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1	श्री परसराम मोरदिया	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2	श्री जी.एस. संधू	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
3	श्री टी. रविकान्त	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	सदस्य
4	श्री एन.के. खरे	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	श्री के.के. शर्मा	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल –सचिव

शासन सचिव वित्त (बजट), श्री अखिल अरोड़ा के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित रहे :–

1. श्री पी.सी. शर्मा — उप सचिव, प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राज.सरकार
2. श्री के.सी. मीणा — मुख्य अभियन्ता, राज.आवा.मण्डल
3. श्री अजीत सिंह शेखावत — वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी,राज.आवा.मण्डल
4. श्रीमती लवंग शर्मा — अति.मुख्य नगर नियोजक, राज.आवा.मण्डल
5. श्री सुधीर कुमार दीक्षित — निदेशक(विधि), राज.आवा.मण्डल

–:: कार्यवाही विवरण ::–

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
216.1	दिनांक 16.02.2012 को सम्पन्न हुई मंडल की 215 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	215वीं बैठक दिनांक 16.02.2012 के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
216.2	दिनांक 16.02.2012 को सम्पन्न हुई मंडल की 215 वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन।	215वीं बैठक की क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary

216.3	मंडल की विभिन्न समितियों के निर्णयों का अवलोकन।	
	216.3.1 प्रोजेक्ट कमेटी बैठक की दिनांक 13.03.12, 23.04.12, 28.05.12 एवं 18.6.12 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन।	प्रोजेक्ट कमेटी बैठक की दिनांक 13.03.12, 23.04.12, 28.05.12 एवं 18.6.12 में लिये गये निर्णयों (कार्यवाही विवरण) का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।
	216.3.2 कार्य समिति की बैठक दिनांक 14.02.12, 26.03.12 एवं 29.05.12 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन।	कार्य समिति की बैठक दिनांक 14.02.12, 26.03.12 एवं 29.05.12 में लिये गये निर्णयों (कार्यवाही विवरण) का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।
	216.3.3 सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 21.06.12 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन।	सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 21.06.12 में लिये गये निर्णयों (कार्यवाही विवरण) का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।
216.4	स्व.श्री एस.पी.सिंह, परियोजना अभियंता (वरिष्ठ), खण्ड– अलवर के ईलाज पर किये गये व्यय के पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
216.5	श्री पी.एन.श्रृंगी, कनिष्ठ लेखाकार, खण्ड– कोटा के स्वयं के ईलाज पर व्यय की गई राशि के पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
216.6	अरावली विहार योजना फेज तृतीय भिवाडी में मध्यम आय वर्ग 'अ' (जी+3) के 160 बहुमंजिले आवासों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
216.7	आवासीय योजना, प्रताप नगर, जयपुर के सेक्टर –28 में अल्प आय वर्ग (जी+3) के 208 बहुमंजिले आवासों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

[illegible]	आवासीय योजना प्रताप नगर, जयपुर के सेक्टर–28 में मध्यम आय वर्ग–ब (जी+3) के 160 बहुमंजिले आवासों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा कार्य विभाजन की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	**CE**
216.09	प्रताप नगर आवासीय योजना, जयपुर के सेक्टर 18 में 'स्ववित्त पोषित योजना' के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग 'ब' (S+6) 120 बहुमंजिले आवासों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति तथा कार्य–विभाजन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	**CE**
216.10	आवासीय योजना प्रताप नगर, जयपुर के सेक्टर 29 में अल्प आय वर्ग (जी+3) के 160 बहुमंजिले आवासों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	**CE**
216.11	अरावली विहार योजना फेज तृतीय भिवाड़ी में अल्प आय वर्ग (जी+3) के 224 बहुमंजिले आवासों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	**CE**
216.12	गोवर्धन विलास आवासीय योजना उदयपुर में मध्यम आय वर्ग 'अ' के (जी+3) के 144 बहुमंजिले आवासों के निर्माण हेतु जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं कार्य विभाजन की स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	**CE**
216.13	मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर के सेक्टर 11 में उच्च आय वर्ग के 72 (S+9) बहुमंजिले आवासों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	**CE**
216.14	आवासीय योजना प्रताप नगर, जयपुर के सेक्टर 29 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+3) के416 बहुमंजिले आवासों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा कार्य	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	**CE**

	विभाजन की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	
216.15	Ex Post Facto approval for financial bid & technical bid for the Construction of HIG 22 Nos. houses at Sector-8, I.G. Nagar, Jaipur.	बैठक में इस बिन्दु पर चर्चा की गई जिसमें प्रमुख शासन सचिव महोदय ने अवगत कराया कि राज्य सरकार स्तर पर माननीय सांसद/विधायकों के आवास को प्लीन्थ स्तर पर आवंटित किये जाने का प्रकरण प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही सूचित कर दिया जायेगा। अतः बाद विचार–विमर्श प्लीन्थ स्तर तक कार्य कराने तक सीमित (Restrict) करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार अनुबन्ध के प्रावधानानुसार कार्यवाही करे।
216.16	Expost Fecto approval for financial bid & technical bid for the Development work at EWS- 1024 Nos. (G+3) Flats at Krishna Appartment Sector 28, Pratap Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
216.17	इंदिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जयपुर के सेक्टर 8 में एम.एल.ए./एम.पी. के उच्च आय वर्ग के 126 आवासों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं कार्य विभाजन की स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	बैठक में इस बिन्दु पर चर्चा की गई जिसमें प्रमुख शासन सचिव महोदय ने अवगत कराया कि राज्य सरकार स्तर पर माननीय सांसद/विधायकों के आवास को प्लीन्थ स्तर पर आवंटित किये जाने का प्रकरण प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही सूचित कर दिया जायेगा। अतः प्लीन्थ स्तर तक कार्य कराने तक सीमित (Restrict) करने का निर्णय लिया गया। अतः तद्नुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय एवम् कार्य विभाजन की स्वीकृति प्राप्त करें।
216.18	आवासीय योजना प्रताप नगर, जयपुर के सैक्टर 18 में मध्यम आय वर्ग "ब" (एस+6) के 120 बहुमंजिला आवासों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा कार्य विभाजन की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

216.19	अरावली विहार योजना, फ़ेज–तृतीय, भिवाडी में मध्यम आय वर्ग 'अ' (जी+3) के 160 बहुमंजिला आवासों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
216.20	अवयस्क अवस्था में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरण में वयस्क होने की अवधि तक शिथिलता प्रदान करने बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	Secretary
216.21	वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये आयकर, सेवाकर, लेबरसेस, वैट इत्यादि का कर सलाहकार एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में सेवाकर आदि के मामलों में बोर्ड का पक्ष रखने हेतु मैसर्स गोपाल शर्मा एण्ड क. को बोर्ड के चार्टर्ड एकाउण्टेंट की नियुक्ति को बोर्ड बैठक में स्वीकृति हेतु एजेण्डा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA&CAO
216.22	वित्तीय वर्ष 2011–12 (कर निर्धारण वर्ष 2012–13) के बोर्ड के वार्षिक खाते तैयार करने, खातों का कर अंकेक्षण एवं धारा 44AB & 12A(1)(b) के तहत आयकर रिपोर्ट तैयार करके बोर्ड की आयकर विवरणिका प्रस्तुत करने के कार्य हेतु बोर्ड के चार्टर्ड एकाउण्टेंट की नियुक्ति को बोर्ड बैठक में स्वीकृति हेतु एजेण्डा।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA&CAO
216.23	कर निर्धारण अधिकारी के नोटिस का उत्तर देने, प्रोसेडिंग करने, आयकर आयुक्त एवं आई.टी.ए.टी. में बोर्ड का पक्ष रखने हेतु बोर्ड के चार्टर्ड एकाउण्टेंट की नियुक्ति को बोर्ड बैठक में स्वीकृति हेतु एजण्डा।	प्रस्ताव के साथ संलग्न पत्र क्रमांक 110, दिनांक 22.5.12 में वर्णित कार्यो एवं पारिश्रमिक का अनुमोदन किया गया।	FA&CAO
216.24	आवासन मण्डल में परियोजना अभियंता(कनिष्ठ) के पद पुनः सृजित किये जाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया । पदों की स्वीकृति एवं मंडल नियमों में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
216.25	आवासन मंडल की योजनाओं में पंजीकृत आवेदकों के पंजीकरण एक शहर से दूसरे शहर में स्थानान्तरण बाबत।	बाद विचार विमर्श पंजीकरण स्थानान्तरण कोटा, भिवाडी और जयपुर को छोड़कर प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया । गुणावगुण के आधार पर पंजीकरण स्थानान्तरण के निर्णय के लिये अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।	CEM

216.26	श्री प्रेम कुमार गुप्ता का पंजीकरण पुनर्जीवित करने हेतु संचालक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु मोडं एजेण्डा ।	विचार–विमर्श किया गया जिसमें पाया गया कि 14 वर्ष पुराना प्रकरण है और परीक्षण करने के उपरान्त अध्यक्ष स्तर से पूर्व में पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है तथा पत्रावली में भी ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर आवेदक ने पता स्थानान्तरण करने का प्रार्थनापत्र दिया हों। केवल मकान आवंटन करने हेतु एक पत्र लिखा गया है जिसमें पता स्वयं का दूसरा दिया गया है। पता परिवर्तन की कोई सूचना उप आवासन आयुक्त को नहीं दी गई है। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर प्रकरण को निरस्त किया गया।
216.27	मण्डल की विभिन्न भूमि समझौता समिति की बैठकों में 15 प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिये जाने हेतु लिये निर्णय का राज्य सरकार से अनुमोदन उपरान्त कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र व कार्यालय आदेश के कारण खातेदारों को भूखण्डों के आवंटनपत्र जारी करने में आ रही परेशानियों को देखते हुये प्रकरण संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन।	प्रस्ताव पर चर्चा की गई। मुआवजे के रूप में खातेदारों को विकसित भूखण्ड दिये जाने के प्रकरण में न्यायालय से राशि निकलाने में विलम्ब होता है, अतः आवासीय अभियंता की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुये उनसे शपथ पत्र व प्रमाणपत्र लेकर कि वे न्यायालय से बोर्ड की राशि वापस प्राप्त कर जमा करायेंगे तथा किसान से भी इस आशय की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ताकि दोहरा भुगतान नहीं हों। किसानों द्वारा दी गई सहमति, अनुबन्ध पत्र व आवासीय अभियंता के प्रमाण पत्र व शपथपत्र के आधार किसानों को विकसित भूखण्ड के आवंटन पत्र मुआवजे के रूप में दिये जाने का प्रस्तावानुसार सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
216.28	मंडल कार्य हेतु तीन अतिरिक्त वाहन क्रय करने बाबत।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में आवश्यकतानुसार मण्डल में गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर नये वाहन क्रय किये जाने के निर्णय हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।
216.29	निरस्त पंजीकरण / आवंटन पुनर्जीवन की प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में।	प्रस्ताव पर चर्चा की गई। चर्चानुसार मंडल की गलती या अन्य किसी न्यायोचित कारण से यदि किसी आवेदक का पंजीकरण निरस्त किया गया हो तो उसे निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये प्रक्रिया शुल्क लेकर गुणावगुण के आधार पर अध्यक्ष महोदय स्तर से पुनर्जीवित किया जावेगा। जिसके लिये आवश्यकतानुसार कैम्प का आयोजन भी किया जावेगा। इस प्रकार प्रस्ताव को सर्वसम्मति से लागू करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करने का निर्णय हुआ ताकि कोई अनियमितताएँ नहीं हो।

216.30	मण्डल द्वारा विक्रित सम्पत्ति पर लीजमनी लेने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया । एकमुश्त लीज पर वर्तमान में देय राशि पश्चात् सात वर्ष हेतु एक मुश्त जमा कराने पर नगरीय विकास विभाग के पूर्व के निर्देशानुसार लीजमुक्ति प्रमाणपत्र जारी किया जावे।	FA&CAO
216.31	मण्डल की समस्त योजनाओं वर्ष 2012–13 की भूमि एवं विकास दर के सम्बन्ध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।	FA&CAO
216.32	विकलांगों के लिये व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र आवास सं. 4–स–23 जवाहर नगर जयपुर का आवंटन/ पंजीकरण किये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।	CEM
216.33	स्व वित्त पोषित योजना एवं वाणिज्यिक सम्पत्ति में ब्याज दर लेने के संबंध में	प्रस्तावानुसार ब्याज दर 18 प्रतिशत ही रखे जाने का निर्णय लिया गया।	FA&CAO
216.34	स्ववित्त पोषित योजना में भूमि एवं विकास दर लेने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार स्ववित्त पोषित योजना के आवासों की भूमि एवं विकास दर आरक्षण पत्र जारी होने के माह में लागू दर वसूलनीय होगी।	FA&CAO
216.35	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग में ब्याज दर 09 प्रतिशत के स्थान पर 07 प्रतिशत।	ब्याज दर 09 प्रतिशत यथावत रखने का निर्णय लिया गया।	FA&CAO
216.36	नवनिर्मित आवासों पर निर्माण पश्चात् ब्याज लेने के संबंध में।	पूर्ववत प्रावधानों के साथ :– 1 नवनिर्मित आवासों में निर्माण अवधि का पूरा निर्धारित ब्याज लिया जावेगा। उसके पश्चात कोई ब्याज देय नहीं होगा। 2 आधिक्य एवं पूर्व वर्षो के बने हुये वे आवास जो किन्हीं कारणों से आवंटित नहीं हो सके उनकी लागत निर्धारण में निर्धारित ब्याज दर लागू की जावेगी।	FA&CAO
216.37	मण्डल द्वारा निर्मित दुकानों की लागत के संबंध में।	मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में वाणिज्यिक भूखण्ड, निर्मित दुकान एवं पेट्रोल पम्प, सिनेमा और होटल के भूखण्ड की आरक्षित दर रिहायशी भूमि की आरक्षित दर की चार गुणा होगी। आवंटन छत के अधिकार समेत किया जावेगा। यह नियम आगे के आवंटन पर लागु होगा। पूर्व के आवंटन में छत का अधिकार लेने के लिये रिहायशी भूमि की वर्तमान आरक्षित दर की आठ गुणा जमा करानी होगी।	FA&CAO
216.38	निर्माण अवधि के सम्बन्ध मे।	लागत सिद्धान्त 2010 के बिन्दु संख्या 16 के सरलीकरण हेतु इस प्रकार निर्देशित किया गया:–	FA&CAO

		Project period of houses/ flats would be as follows : (i) Houses - 18 months (ii) Flats - 30 months Interest on construction would be charged for the full construction period as per the applicable rates. No interest would be chargeable for any delay incurred for what soever reason.
216.39	उपरिव्यय मद पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि उपरिव्यय मद 10 प्रतिशत से अधिक नहीं किया जावे एवं लागत कम करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।
216.40	आरक्षित दर के संबंध में।	आवासीय भूखण्डों एवं प्लीन्थ स्तर के आवासों के सम्बन्ध में लीज राशि आवासीय आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक तथा व्यवसायिक एवं संस्थानिक भूखण्ड पर व्यवसायिक एवं संस्थानिक भूखण्ड के लिये निर्धारित आरक्षित दर 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय होगी। व्यवसायिक एवं संस्थानिक भूखण्डों के मामलों में प्रथम 5 वर्ष तक 2.5 प्रतिशत लीजराशि ली जावेगी। व्यवसायिक या संस्थानिक भूखण्डों के मामले में यदि आवंटी प्रथम पॉच वर्ष के पूर्व एक मुश्त राशि जमा कराना चाहेगा तो उसे पूर्व दर 5 प्रतिशत की दर से ही लीजराशि जमा करानी होगी।
216.41	राज ऑगन योजना में CER के सम्बन्ध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
216.42	राज ऑगन योजना में भूमि एवं विकास दर लेने के सम्बन्ध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
216.43	आय वर्ग परिवर्तन की सुविधा समाप्त करने बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।
216.44	राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मानसरोवर योजना हेतु अवाप्त भूमि ग्राम झालाना चौड खसरा नम्बर 350 रकबा 20 बीघा, 13 बिस्वा हिस्सा (प्रभूदयाल पुत्र नानक) 1/2, वाद संख्या 1/82/(87) को 15 प्रतिशत भूमि देने के सम्बन्ध में।	स्थगित किया गया, विधिक परीक्षण करवा कर आगामी बोर्ड बैठक में रखा जावे।
216.45	आवासन मंडल द्वारा बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त कर त्रिपक्षीय अनुबन्ध के अन्तर्गत किराया क्रय पद्धति के आवंटित मकानों के आवंटियों को	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।

	बैंक से ऋण सुविधा आवासन मंडल के सहयोग से प्रदान कराने बाबत।		
216.46	श्री कन्हैया लाल वर्मा पुत्र स्व. श्री चौथराम वर्मा को अधिकतम आयु में शिथिलता देते हुये अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करने बाबत।	श्री कन्हैया लाल वर्मा पुत्र स्व. श्री चौथराम वर्मा को अधिकतम आयु में शिथिलता देते हुये अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्रकरण नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. सरकार को अग्रेषित करने का निर्णय लिया गया	Secretary
216.47	पेंशन निर्धारण के लिये सेवावधि की गणना प्रथम अस्थायी नियुक्ति की दिनांक से किये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।	Secretary
216.48	श्री हुसैन खां को नकद भुगतान पद्धति में आवंटित आवास को किराया क्रय पद्धति में बदलने बाबत।	विचार–विमर्श पश्चात् नकद भुगतान पद्धति से किराया क्रय पद्धति में परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया गया लेकिन भूतल पर आवास आवंटन के संबंध में अध्यक्ष महोद्रय के निर्देशानुसार प्रकरण सम्पत्ति आवंटन समिति के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया।	CEM

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बोर्ड बैठक में चर्चा के दौरान प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निम्न दो निर्णय लिये गयेः–

1. मानसरोवर में मण्डल के वृत्त कार्यालय के पीछे की तरफ मण्डल के स्वामित्व की भूमि के कुछ हिस्सों पर छोटा बस स्टेण्ड का निर्माण किया जावे ताकि वहां की स्थानीय जनता को आये दिन यातायात जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके।

2. राजस्थान आवासन मंडल मानसरोवर योजना में बी–2 बाईपास क्षेत्र एवं प्रताप नगर में अलग–अलग आवश्यकतानुसार जॉगिंग ट्रैक बनाये जावे।

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सचिव

-285

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 217वीं बैठक दिनांक 28.09.2012 को 3.00 बजे अपरान्ह में माननीय महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति नुसार रही :-

1	श्री परसराम मोरदिया	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2	श्री जी॰एस॰ संधू	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
3	श्री टी॰ रविकान्त	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	सदस्य
4	श्री एन॰के॰ खरे	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	श्री के॰के॰ शर्मा	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल -सचिव

शासन सचिव वित्त (बजट), श्री अखिल अरोड़ा के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मण्डल की भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी।

निम्न अधिकारी भी उपस्थित रहे :-

1.	श्री पी॰सी॰ शर्मा	उप सचिव, प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राज॰सरकार
2	श्री के॰सी॰ मीणा	मुख्य अभियन्ता, राज॰आवा॰मण्डल
3	श्री अजीत सिंह शेखावत	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी,राज॰आवा॰मण्डल
4.	श्रीमती लवंग शर्मा	अति.मुख्य नगर नियोजक, राज॰आवा॰मण्डल
5.	श्री जी.एस. बाघेला	अति.मुख्य अभियंता, द्वितीय, राज॰आवा॰मण्डल
6.	श्री एस.आर.पिलानिया	मुख्य संपदा प्रबन्धक/उप सचिव, राज॰आवा॰मण्डल
7	श्री एम.के.गुप्ता	वरिष्ठ लेखाधिकारी, राज॰आवा॰मण्डल

-:: कार्यवाही विवरण ::-

विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वार
दिनांक 16.08.2012 को सम्पन्न हुई मंडल की 216 वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	216वीं बैठक दिनांक 16.08.2012 के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
दिनांक 16.08.2012 को सम्पन्न हुई मंडल की 216 वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन।	216वीं बैठक की क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary

217.3	मंडल की विभिन्न समितियों के निर्णयों का अवलोकन।	
	217.3.1 प्रोजेक्ट कमेटी बैठक की दिनांक 13.08.12 एवं 29.8.12 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन।	प्रोजेक्ट कमेटी बैठक की दिनांक [illegible] एवं 29.8.12 में लिये गये निर्णयों (कार्यवाही विवरण) का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।
	217.3.2 कार्य समिति की बैठक दिनांक 14.09.12 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन।	कार्य समिति की बैठक दिनांक 14.09.12 [illegible] लिये गये निर्णयों (कार्यवाही विवरण) [illegible] अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।
	217.3.3 सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 21.09.12 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन।	सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 21.09.12 में लिये गये निर्णयों (कार्यवाही विवरण) का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।
	217.3.4 भूमि समझौता समिति की बैठक दिनांक 18.9.12 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन।	भूमि समझौता समिति की बैठक दिनांक 18.9.12 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।
217.4	मण्डल में संघों / संगठनों को मान्यता के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
217.5	श्री सुभाष चन्द्र आर्य , परियोजना अभियंता(वरिष्ठ) द्वारा आपात परिस्थितियों एवं अपरिहार्य कारणों से उनकी पत्नी एवं बच्चों का सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर से रेफर कराये बगैर के.एम.एस. हॉस्पिटल, जयपुर में कराये गये उपचार पर हुये व्यय रुपये 2,10,593/- के पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
217.6	राजस्थान आवासन मंडल में कम्प्यूटरीकरण हेतु आवश्यक प्रशासनिक ढ़ांचा के स्वीकृति बाबत।	मण्डल की बैठक में प्रस्तावित प्रस्ताव पर चर्चा की एवं स्टेनोग्राफर के रिक्त पदों को ही सूचना सहायक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर (सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर) के पद में परिवर्तन किया जाना स्वीकृत किया गया एवं साथ ही निजी सहायकों के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाले स्टेनोग्राफरों के रिक्त पदों एवं वर्तमान में स्टेनोग्राफर के रिक्त पदों में से 34 पदों [illegible]

	को (सूचना सहायक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर (सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर)) परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त के साथ ही मण्डल में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) के पद को सिस्टम एनालिस्ट (सयुंक्त निदेशक) में अपग्रेड(क्रमोन्नत) करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई एवं मण्डल में रिक्त चल रहे प्रोग्रामर के 2 पदों को अविलम्ब भरने की कार्यवाही करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।	
मंडल के विभिन्न श्रेणी के आवासों के लिए पंजीकरण हेतु प्रचलित आय वर्ग में परिवर्तन करने बाबत।	प्रस्ताव पर निम्नानुसार आंशिक संशोधन के साथ सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई । ग्रामीण आवेदकों से मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे तथा आय वर्ग निर्धारण हेतु उनके स्वामित्व की उपलब्ध भूमि से प्राप्त होने वाली आय को आधार बनाया जावे। आय गणना का मापदण्ड तय किया जावे।	CEM
आवासीय योजना प्रताप नगर, जयपुर के सेक्टर–29 में मध्यम आय वर्ग–'अ' (G+3) के 160 बहुमंजिला आवासों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा कार्य विभाजन की कार्योत्तर स्वीकृति (Ex Post facto Approval)बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
प्रताप नगर योजना जयपुर के सेक्टर–26 में उच्च आय वर्ग के (S+10) 80 फ्लेट के बहुमंजिला आवासों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति (Ex Post facto Approval) बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
आवास संख्या 2/293, वन विहार, जयपुर को एक पंजीकरण के आधार पर दो व्यक्तियों आवंटन होने पर प्रशासनिक निर्णय लेने बाबत।	विचार–विमर्श पश्चात् यह तय किया गया कि दोषी आवंटी श्री अब्दुल आहद पुत्र श्री अब्दुल सत्तार के विरूद्ध संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावे तथा उससे आवास खाली कराया जावे तथा उससे किराया वसूल किया जावे एवं दोषी अधिकारी/कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।	CEM

		श्री अब्दुल आहद पुत्र श्री अब्दुल सलाम नियमानुसार मकान आवंटित किया जावे
217.11	Ex Post facto Approval of Tender for const. of MIG-B 36 Nos (S+9) flats at Dwarika Path Mansarover Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
217.12	Tender for const. of MIG-A 80 Nos (G+3) Zone-II, at Vivek Vihar, Scheme,Jodhpur	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
217.13	Ex Post facto Approval of Tender for const. of MIG-A 80 Nos (G+3) flats Zone-B,at Goverdhan Vilas Scheme Udaipur	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
217.14	Tender for const. of MIG-A 80 Nos (G+3) Zone-III, at Vivek Vihar, Scheme,Jodhpur	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
217.15	Ex Post facto Approval of Tender for const. of MIG-B 32 Nos. houses at Gari Thorian Scheme, Sector 3 & 4, Beawar.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
217.16	Tender for const. of EWS 100 Nos . houses at Nasirabad scheme, Ajmer.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
217.17	Tender for const. of MIG-A 80 Nos (G+3) Zone-I, at Vivek Vihar, Scheme,Jodhpur	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
217.18	Ex Post facto Approval of Tender for const. of MIG-B 28 Nos. houses at Gari Thorian Scheme, Beawar	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
217.19	Ex Post facto Approval of Tender for const. of LIG 127 Nos. houses at , Sector 2,3 & 5, Nasirabad scheme, Ajmer	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
217.20	Tender for const. of MIG-B 64 Nos (G+3) Flats Zone-I, at Sector-28,Pratap Nagar. Jaipur	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
217.21	Tender for const. of HIG 98 Nos houses at Sector-14, I.G. Nagar. Jaipur	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
217.22	Ex Post facto Approval of Tender for const. of LIG 110 Nos. houses at Dr. Bhim Rao Ambedker housing scheme, Zone- III, Nagour.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।
217.23	Ex Post facto Approval of Tender for const. of HIG 113 Nos. houses	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

at Sector-14, I.G. Nagar. Jaipur		
Ex Post facto Approval of Tender for const. of MIG -A 68 Nos. houses at Dr. Bhim Rao Ambedker housing scheme, Zone- II, Nagour.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
Ex Post facto Approval of Tender for const. of LIG 88 Nos. houses at Nasirabad scheme, Ajmer	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
Ex Post facto Approval of Tender for const. of HIG 37 Nos. houses at Senthi Segwa Ext. Chittorgarh.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
Ex Post facto Approval of Tender for const. of MIG-A (G+3) 80 Nos flats under SFS at Sector-28,Pratap Nagar. Jaipur	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
Ex Post facto Approval of Tender for const. of MIG-B (G+3) 48 Nos flats at Sector-04m Kudi Bhagtasni Scheme, Jodhpur	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE

अन्य विचार बिन्दु माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

Tender for const. of EWS 128 (G+3) Flats Zone-A, at Sector-29, Pratap Nagar. Jaipur	विचार–विमर्श पश्चात् प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा अपना अभिमत व्यक्त किया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समान प्रकृति के कार्य हेतु वर्तमान में प्रचलित दरों की सूचना प्राप्त कर,न्यूनतम दरों के औचित्य का निर्धारण कर निविदा स्वीकृत की जावे। इस संबंध में निदेशक (अभियान्त्रिकी–प्रथम) जयपुर विकास प्राधिकरण से वांछित सूचना संकलित की गई तथा उन्होंने दिनांक 07.09.2012 को सम्पन्न हुई **E.C.**की बैठक में पी.डब्ल्यू.डी. बी.एस.आर. 2010 पर 38.41 प्रतिशत एबोव को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा किया जाना बताया है, जो कि आर.एच.बी. बीएसआर 2012 पर 19.59 प्रतिशत एबोव आती है। प्रश्नगत निविदा में न्यूनतम दरें आर.एच.बी.बीएसआर 2012 पर 17.11 प्राप्त हुई है, अतः निविदा स्वीकृत की जाती है।	CE

217.30	Tender for const. of LIG 48 (G+3) Flats Zone-F, at Sector-28, Pratap Nagar. Jaipur	विचार–विमर्श पश्चात् प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा अपना अभिमत व्यक्त किया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समान प्रकृति के कार्य हेतु वर्तमान में प्रचलित दरों की सूचना प्राप्त कर,न्यूनतम दरों के औचित्य का निर्धारण कर निविदा स्वीकृत की जावे। इस संबंध में निदेशक (अभियान्त्रिकी–प्रथम) जयपुर विकास प्राधिकरण से वांछित सूचना संकलित की गई तथा उन्होंने दिनांक 07.09.2012 को सम्पन्न हुई **E.C.** की बैठक में पी.डब्ल्यू.डी. बी.एस.आर. 2010 पर 38.41 प्रतिशत एबोव को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा किया जाना बताया है, जो कि आर.एच.बी. बीएसआर 2012 पर 19.59 प्रतिशत एबोव आती है। प्रश्नगत निविदा में न्यूनतम दरें आर.एच.बी. बीएसआर 2012 पर 18.00 प्राप्त हुई है, अतः निविदा स्वीकृत की जाती है।
217.31	Tender for const. of LIG 80 (G+3) Flats Zone-E, at Sector-28, Pratap Nagar. Jaipur	विचार–विमर्श पश्चात् प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा अपना अभिमत व्यक्त किया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समान प्रकृति के कार्य हेतु हाल ही में स्वीकृत दरों की सूचना प्राप्त कर न्यूनतम दरों के औचित्य का निर्धारण कर निविदा स्वीकृत की जावे। इस संबंध में निदेशक (अभियान्त्रिकी–प्रथम) जयपुर विकास प्राधिकरण से वांछित सूचना संकलित की गई तथा उन्होंने दिनांक 07.09.2012 को सम्पन्न हुई **E.C.** की बैठक में पी.डब्ल्यू.डी. बी.एस.आर. 2010 पर 38.41 प्रतिशत एबोव को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा किया जाना बताया है, जो कि आर.एच.बी. बीएसआर 2012 पर 19.59 प्रतिशत एबोव आती है। प्रश्नगत निविदा में न्यूनतम दरें आर.एच.बी. बीएसआर 2012 पर 18.00 प्राप्त हुई है, अतः निविदा स्वीकृत की जाती है।

Ex canc Cons Secti

राज्य क्रिया आवार एवं के उ जाने

<table>
<tr><td>Ex Post facto Approval for cancellation of Tender for the Const.of shopping centre at Sector-16 , Pratap Nagar. Jaipur</td><td>प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।</td><td>CE</td></tr>
<tr><td>राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय की क्रियान्विति स्वरूप, मण्डल द्वारा निर्मित आवासों के आवंटन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदकों हेत आरक्षण के उपलब्ध प्रावधानों में संशोधन किये जाने बाबत।</td><td>विचार–विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा विभिन्न संवर्गो के आवेदकों हेतु मंडल द्वारा निर्मित किये जाने वाले सभी श्रेणी के आवासों के आवंटन में आरक्षण के संशोधित प्रावधान निम्नानुसार होंगे:–
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>वर्ग</th><th>आवेदक की श्रेणी</th><th>विभिन्न श्रेणी के लिये आरक्षण का प्रतिशत</th></tr>
<tr><td>1</td><td>जी–1</td><td>वैतनिक
श्रेणी–1
केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राईवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी
श्रेणी–2
राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी</td><td>18 प्रतिशत

10 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>2</td><td>जी–2</td><td>सामान्य श्रेणी
प्रोफेशनल श्रेणी
केवल प्रोफेशनल्स एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेंट एवं प्राईवेट डॉक्टर</td><td>29 प्रतिशत

05 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>3</td><td>जी–3</td><td>मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)</td><td>01 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>4</td><td>जी–4</td><td>अनुसूचित जाति</td><td>16 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>5</td><td>जी–5</td><td>अनुसूचित जन जाति</td><td>12 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>6</td><td>जी–6</td><td>वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार</td><td>1.5प्रतिशत</td></tr>
<tr><td>7</td><td>जी–7</td><td>स्वतन्त्रता सेनानी</td><td>0.5प्रतिशत</td></tr>
</table></td><td>ACE(P&M)</td></tr>
</table>

		8	जी–8	भू. सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं	[illegible]
		9	जी–9	विकलांग (अंधता / शारीरिक / मूक बधिर)	[illegible] [illegible] [illegible]
		10	जी–10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं एशियाड / आलम्पिक पदक प्राप्त खिलाडी	[illegible]
				योग	100प्रति[illegible]

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बोर्ड बैठक में चर्चा के दौरान प्रमुख शासन सचिव [illegible] एवं आवासन विभाग के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य कर्मचारी [illegible] साथ आवास चाहते है तो उनके लिये ग्रुप हाउसिंग स्कीम के प्रस्ताव तैयार कराये [illegible] भूमि 750 वर्ग मीटर रखने व भूमि की राशि तीन वर्ष में छःमाही किश्तों में वसूल करने [illegible] जावे तथा भूमि पर निर्माण कर्मचारियों की ग्रुप हाउसिंग सोसायटी अथवा राज.आवासन [illegible] जाने का विकल्प रखा जावे।

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक [illegible] समाप्त की गई।

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 218वीं बैठक दिनांक 24.04.2013 को 3.00 बजे अपरान्ह में माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1	श्री परसराम मोरदिया	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2	श्री जी॰एस॰ संधू	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
3	श्री डॉ. आर.वेंकटेश्वरन	आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	सदस्य
4	श्री के॰के॰ शर्मा	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल –सचिव

शासन सचिव वित्त (बजट), श्री अखिल अरोड़ा एवं मुख्य नगर नियाजक श्री एन.के.खरे के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित रहे :–

1.	श्री पी॰सी॰ शर्मा	उप सचिव, प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राज॰सरकार
2	श्री के॰सी॰ मीणा	मुख्य अभियन्ता, राज॰आवा॰मण्डल
3	श्री सुनील राय	निदेशक(विधि), राज.आवासन मंडल, जयपुर
4	श्री डी.सी.चौधरी	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी,राज॰आवा॰मण्डल
5.	श्रीमती नलिनी कठौतिया	मुख्य संपदा प्रबन्धक, राज॰आवा॰मण्डल
6.	श्री जी.एस. बाघेला	अति.मुख्य अभियंता, द्वितीय, राज॰आवा॰मण्डल
7.	श्री कर्ण सिह गोठवाल	संपदा प्रबन्धक, राज॰आवा॰मण्डल
8	श्री वी.के.माथुर	उप आवासन आयुक्त,वृत्त–प्रथम / तृतीय, जयपुर राज॰आवा॰मण्डल
9.	श्री रामफूल गुर्जर	सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)

–:: कार्यवाही विवरण ::–

विचार बिन्दु संख्या	विषय	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
218.1	दिनांक 28.09.2012 को सम्पन्न हुई मण्डल की 217वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	217वीं बैठक दिनांक 28.09.2012 के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
218.2	दिनांक 28.09.2012 को सम्पन्न हुई मण्डल की 217वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन।	217वीं बैठक की क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary

218.3	मण्डल के विभिन्न समितियों के निर्णयों का अवलोकन।		Secretary
	218.3.1 चयन समिति (विभागीय पदौन्नति समिति) की बैठक दिनांक 25.10.2012 में लिए गए निर्णयों का अवलोकन।	चयन समिति (विभागीय पदौन्नति समिति)बैठक दिनांक 25.10.2012 में लिए गए निर्णयों (कार्यवाही विवरण) का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।	Secretary
	218.3.2 कार्य समिति की बैठक दिनांक 31.12.2012 एवं दिनांक 07.03.2013 में लिए गए निर्णयों का अवलोकन।	कार्य समिति की बैठक दिनांक 31.12.2012 एवं दिनांक 07.03.2013 में लिए गए निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।	TA to CM
	218.3.3 भूमि समझौता समिति की बैठक दिनांक 25.03.2013 के लिए गए निर्णयों का अवलोकन।	भूमि समझौता समिति की बैठक दिनांक 25.03.2013 में लिए गए निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।	Secretary
218.4	Ex-post-facto approval of tender for the construction of MIG-B 26 Numbers Houses at Sagwara, Distt.-Dungarpur ,	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.5	Ex-post-facto approval of tender for the construction of EWS 192 (G+3) Numbers Flats at Phase-III, Zone-I, at Arrawali Vihar, Bhiwari.,	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.6	Ex-post-facto approval for tender of construction of EWS 80 (G+3) Numbers Flats at Zone-D, Sector-29, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.7	Ex-post-facto approval for cancellation of tender for construction of LIG 96	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE

	(G+3) Numbers Zone-III, Flats at Vivek Vihar scheme at KBS, Jodhapur		
218.8	Ex-post-facto approval of tender for the construction of EWS 120 (Size 4.0 x 11.0 mtr.) Numbers at Manpura Scheme, Aburoad.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.9	Ex-post-facto approval of tender for the construction of MIGB (G+3) 64 Numbers (SFS) Flasts at Sector-28, Zone-II, Pratap Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.10	Ex-post-facto approval of tender for the construction of EWS 121 Numbers, LIG-21 Nos. & MIGA-04 Nos. Houses at CHS, Lakheri, Distt.-Bundi.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.11	Ex-post-facto approval for cancellation of tender for the construction of EWS (G+3) 128 Nos. Flats Zone-B, at sector-29, Pratap Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.12	Ex-post-facto approval of tender for the construction of LIG- 49 Nos.Houses at Sagwara Dist. Dungarpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.13	Ex-post-facto approval for cancellation of tender for the construction of LIG-96 (G+3) Nos. Zone-I, Flats at Vivek Vihar Scheme at KBS, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.14	नीलामी दिनांक 22.06.2011 को आवंटित निर्मित दुकान संख्या 113/एस.पी.–5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर को नियमित करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमति प्रदान की गई।	FA & CAO
218.15	नीलामी दिनांक 22.06.2011 को आवंटित निर्मित दुकान संख्या 113/एस.पी.–2, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर को नियमित करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमति प्रदान की गई।	FA & CAO

218.16	मण्डल कार्मिको को वित्तीय वर्ष 2011–12 का बोनस/अनुग्रह राशि तथा उपहार राशि के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमोदनार्थ।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA & CAO
218.17	बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2011–12 के वार्षिक लेखे (अंतिम लेखे) निदेशक मण्डल से अनुमोदनार्थ।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA & CAO
218.18	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमि., जयपुर को राशि 100.00 करोड मेचिंग शेयर अंश राशि के भुगतान की स्वीकृति हेतु संचालक मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA & CAO
218.19	मण्डल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के बराबर बढ़े हुए मंहगाई राहत के भुगतान के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA & CAO
218.20	वरिष्ठ निजी सहायक का पदनाम अतिरिक्त निजी सचिव प्रतिस्थापित करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	Secretary
218.21	राज्य सरकार के आदेशानुसार संस्थाओ से आवंटित दर पर लीज राशि लिये जाने के प्रावधान पर नितिगत निर्णय लेने हेतु।	प्रस्तावानुसार आवासन मंडल में भूमि की आरक्षित दर, भूमि एवं विकास दर के नाम से जानी जाती है। इसी पर 2.5 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत वार्षिक लीज राशि ली जा रही है। इस प्रकार वर्तमान व्यवस्था राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप होने से यथावत रखने का निर्णय लिया गया।	FA & CAO
218.22	नीलामी दिनांक 22.06.2011 को आवंटित निर्मित दुकान संख्या 113/एसपी–6 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर नियमित करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.23	आवासीय अभियन्ता, खण्ड–द्वितीय, बीकानेर का मुख्यालय बीकानेर से नागौर किये जाने बाबत्।	प्रस्तावानुसार पुष्टि की गई।	ACE-II

	किये जाने बाबत्।		
218.24	Ex-post-facto approval for cancellation of tender for the construction of MIGA(G+3) 48 flats Zone-II, Phase III at Aravali Vihar Bhiwari.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.25	Ex-post-facto approval of tender for the construction of LIG-47 Nos.Houses at Phase III CHS, Nainwa, Distt. Bundi.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.26	Ex-post-facto approval of tender for the construction of EWS-64 Nos. Flats at Vivek Vihar(Zone A-1) Sector 09, KBS, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.27	Ex-post-facto approval of tender for the construction of MIG-A-36 Duplex Houses at South Extension, Udhaipur	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.28	Ex-post-facto approval of tender for the construction of EWS-10,LIG-11 & MIG-A-13 Nos Houses at CHS Anta. Distt. Baran.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.29	Ex-post-facto approval of tender for the construction of MIG-A-64 (G+3) Flats Zone-A. at Goverdhan Vilas Udaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.30	Ex-post-facto approval for Cancellation of tender for the construction of LIG-48, Nos (G+3) Zone-V at Vivek Vihar. Jodhpur	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.31	Ex-post-facto approval of tender for the construction of EWS-64, Nos (G+3) Multistorey Flats at Vivek Vihar, Near Sector-9 (Zone-B-1) KBS Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.32	Ex-post-facto approval of tender for the construction of EWS-64, Nos (G+3) Flats at Vivek Vihar, (Zone-A-2) Sector-9 KBS, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE

218.33	Ex-post-facto approval of tender for the construction of Shopping Center at Sector-16, Pratap Nagar., Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.34	Ex-post-facto approval of tender for the construction of MIG-A-32 Nos (G+3) Flats Zone-A, at Udhyan, Appartment, Housing Scheme, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.35	Ex-post-facto approval of tender for the construction of MIG-B-48 Nos (S+6) Flats Ph II, Zone I at Sector-18, Kumba marg, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.36	Ex-post-facto approval of tender for the construction of LIG-82 Nos Houses Zone-C at Dr. Ambedkar Housing Scheme, Nagaur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.37	Ex-post-facto approval of Cancellation of tender for the construction of EWS-105, Nos Houses Zone-A, at Rajeev Gandhi Nagar, Housing Scheme, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.38	Ex-post-facto approval of tender for the construction of MIG-B 48 Nos (S+6) Flats Ph-I Under SFS, Sector-18 Zone I, Pratap Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.39	Ex-post-facto approval of tender for the construction of LIG-96, Nos (G+3) Zone-I, at Vivek Vihar, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.40	Ex-post-facto approval of tender for the construction of EWS-64, Nos (G+3) Multistorey Flats at Vivek Vihar Scheme, Near Sector-9 (Zone-B-2) KBS Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.41	Ex-post-facto approval of Cancellation of tender for the construction of EWS-	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE

	83, Nos Houses Zone-B, at Rajeev Gandhi Nagar, Housing Scheme, Jodhpur.		
218.42	Ex-post-facto approvai of Cancellation of tender for the construction of MIG-B-42, Nos SFS Houses Old RHB, Scheme Hanuman Garh.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.43	Ex-post-facto approval of Cancellation of tender for the construction of EWS-128, Nos (G+3) Flats Zone-B, at Sector-29, Pratap Nagar, Sanganer. Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.44	Ex-post-facto approval of tender for the construction of MIG-A-48 Nos (G+3) Flats Zone-A, Sector-7, IG Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.45	Ex-post-facto approval of Cancellation of tender for the construction of EWS-208, (G+3) Flats, Zone-II, Phase III at Arawali Vihar, Bhiwari.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.46	Ex-post-facto approval of tender for the construction of HIG-80 Nos (S+10) Flats (Under SFS), at Sector-26 Pratap Nagar Sanaganer, Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.47	Ex-post-facto approval of tender for the construction of MIG-A-32, Nos (G+3) Flats Zone-A, at Udhyan Appartment Housing Scheme, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.48	Ex-post-facto approval of tender for the construction of MIG-B-24, Nos (S+6) Flats Phase-II, Zone-III, at Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.49	Ex-post-facto approval of tender for the construction of MIG-B-48, Nos (S+6) Flats Phase-II, Zone-II, Sector-18, Pratap Nagar,	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE

	Sanganer, Jaipur.		
218.50	Ex-post-facto approval of tender for the construction of LIG-48, Nos (G+3) Zone-VI, at Vivek Vihar, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.51	राजस्थान आवासन मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अनाधिकृत अस्पतालो में कराये गये ईलाज की राशि के पुनर्भरण के अनुमोदन बाबत	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA&CAO
218.52	Ex-post-facto approval for rejcetion of Technical Bid (Tender for Construction of EWS(G+3)112 flats Phase-III,Zone-II, at aravali Vihar,Bhiwari)	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.53	Ex-post-facto approval for rejcetion of Technical Bid (Tender for Carpeting work & maintinance of median and footpath at haldi Ghati Marg Pratap Nargar Sanganer Jaipur)	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.54	Ex-post-facto approval for rejcetion of Technical Bid (Tender for Construction of LIG(G+3) 64 flats Phase-III,Zone-III, at Aravali Vihar,Bhiwari)	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.55	Ex-post-facto approval for rejcetion of Technical Bid (Tender for Construction of LIG(G+3) 64 flats Phase-III,Zone-II, at Aravali Vihar,Bhiwari)	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.56	सैक्टर–12, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर में अल्प आय वर्ग (जी+3) के 304 फ्लेटों के निर्माण की प्रशासनिक व वित्तीय एवं कार्य विभाजन की कालातीत स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.57	Ex-post-facto approval of tender for the construction of MIG-A-32, Nos houses (G+3) Flats Zone-IV, at Sector-29, Pratap Nagar,	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE

	Sanganer, Jaipur.		
218.58	Ex-post-facto approval of tender for the construction of LIG-48, Nos (G+3) Zone-VII, at Vivek Vihar, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.59	Ex-post-facto approval of tender for the construction of LIG-96, Nos (G+3) Flats phase-II, Zone-I, at Sector-29, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.60	Ex-post-facto approval of tender for the construction of MIG-A, 32 Nos (G+3) Flats at Sector-7, Zone B, Indra Gandhi Nagar,Jagatpura, Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.61	Ex-post-facto approval of tender for the construction of LIG 96 Nos (G+3) Zone-II at Vivek Vihar, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.62	Ex-post-facto approval of cancellation of tender for the construction of EWS 79 Nos complete houses at Rajiv Gandhi Nagar Yojna, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.63	मण्डल की समस्त योजनाओं वर्ष 2012–13 की भूमि व विकास दर के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA&CAO
218.64	Ex-post-facto approval of tender for the construction of LIG 96 Flats (G+3) Phase II Zone-I, at Sector 29, P N, Sanganer, Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.65	Ex-post-facto approval of tender for the construction of EWS 48 Nos (G+3) Flats at Vivek Vihar, (Zone C-II) Near Sector 9 KBS, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.66	Ex-post-facto approval of tender for the construction of EWS 119 Nos Houses Sagwara, Distt. Dungarpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE

218.67	Ex-post-facto approval of tender for the construction of LIG 96 Nos (G+3) Zone-III at Vivek Vihar, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.68	प्रतापनगर योजना जयपुर के सेक्टर 26 में उच्च आयवर्ग के (S+10) 80 बहुमंजिला आवासों के निर्माण हेतु संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.69	प्रतापनगर योजना जयपुर के सेक्टर 28 में मध्यम आयवर्ग ब के (G+3) 160 बहुमंजिला आवासों के निर्माण हेतु संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.70	मण्डल की वर्ष 2001 के तहत अधिस्वीकृत पत्रकारों को प्लिन्थ स्तर के आवास आवंटन की पुष्टि बाबत।	संचालक मण्डल के माननीय सदस्यों द्वारा मानसरोवर योजना में अधिस्वीकृत पत्रकारों को जोधपुर शहर में प्लिंथ स्तर के आवास आवंटन का निर्णय परिचलन से लिया गया था उसकी पुष्टि की गई।	CEM
218.71	Ex-post-facto approval of tender for the construction of MIG-B-72 Nos (S+9) Flats at Dwarka Path, Mansarovar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.72	आवासन मण्डल में जन सम्पर्क अधिकारी के पद को सहायक निदेशक के पद पर क्रमोन्नत करने बाबत।	सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा जिस स्तर के अधिकारी का पदस्थापन किया जावे तद्नुरूप पदनाम की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
218.73	श्री विजयपाल सिंह को विक्रय किया गया आवासीय भूखण्ड सं. 4/11, सेक्टर 4, योजना भिवाड़ी पर वार्षिक ब्याज व पैनल्टी लेते हुए 2 वर्ष से अधिक अवधि को नियमित करने बाबत।	प्रस्तावानुसार एक वर्ष से अधिक दो वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये बकाया राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं 10 प्रतिशत पेनेल्टी लेते हुये नियमित करने का अनुमोदन किया गया।	FA&CAO
218.74	राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में DB Income Tax Appeal No 568/2009	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA&CAO

	में बोर्ड की ओर से अधिवक्ता श्री संजय झंवर (मैसर्स चिर अमृत ला चैम्बर्स) की नियुक्ति की पुष्टि हेतु।		
218.75	राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा–27 एवं धारा–4(1)के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यवाही का संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	Secretary
218.76	स्व. श्री रामधन मीणा, हैल्पर (निधन दिनांक 18.02.09) के पुत्र श्री मुकेश कुमार मीणा आश्रित को बालिग होने पर हैल्पर के पद पर नियुक्ति देने के संबंध में शिथिलन दिए जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अवधि में 4 वर्ष की शिथिलता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
218.77	श्री गौतम भण्डारी (पत्रकार) को आवंटित आवास संख्या 72/167, मानसरोवर की शास्ती माफ करने बाबत।	प्रस्ताव विचार–विमर्श के उपरांत अस्वीकार किया गया।	CEM
218.78	नीलामी के माध्यम से निस्तारित की जाने वाली परिसम्पत्तियों के लिए निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य पर निस्तारण नहीं होने की स्थिति में, पूर्व निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य पर पुनर्विचार की शक्तियां प्रदत्त करने बाबत।	चर्चा के दौरान बताया गया कि मण्डल द्वारा नीलाम की जाने वाली परिसम्पत्तियों के न्यूनतम विक्रय मूल्य व्यावहारिक रूप से अधिक होने के कारण, बड़ी तादाद में ऐसी परिसम्पत्तियां दीर्घकाल से अनिस्तारित हैं, जिससे मण्डल को तय समय सीमा में राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त, यह निर्णय लिया गया कि ऐसी परिसम्पत्तियां जिनकी कम से कम तीन बार नीलामी आयोजित करने के बावजूद निस्तारण सम्भव नहीं हो सका है, उन परिसम्पत्तियों के न्यूनतम विक्रय मूल्य की समीक्षा मण्डल प्रबन्धन द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी एवं समिति की सिफारिशों सहित, न्यूनतम विक्रय	CE

		मूल्य के बारे में पुनर्विचार एवं निर्णय हेतु एकीकृत प्रस्ताव संचालक मण्डल के समक्ष रखा जावे।	
218.79	Ex-post-facto approval for cancellation of tender for the construction of MIG-A-48 Numbers (G+3) Flats Zone-C, at Udhyan Apartment, Housing Scheme, Jodhapur	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
218.80	दिनांक 01.01.2004 एवं 01.01.2004 के पश्चात नियुक्त हुए कार्मिकों को दिनांक 01.04.2013 से मेडिकल इन्श्योरेन्स योजना, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि (साधारण बीमा) के कार्यालय आदेश 579 दिनांक 28.03.2013 के अनुमोदन हेतु	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA & CAO
218.81	प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों के लंबित पंजीकरणों के संबंध में नीतिगत निर्णय बाबत।	प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा मण्डल में पदस्थापन के दौरान प्रतिनियुक्ति कोटे में कराये गये पंजीकरणों को आधार मानते हुए पंजीकरण वर्ष की वरीयता निर्धारित करते हुए उन्हें सामान्य श्रेणी के आवेदकों के रूप में आय वर्ग/वरीयतानुसार आवास / फ्लेट्स आवंटित करने का निर्णय लिया गया तथा इन आवेदकों से यह पूछ लिया जावे कि वे क्या सामान्य श्रेणी के पंजीकरण पर सहमत है यदि नहीं तो पंजीकरण को निरस्त कर उनकी राशि लौटा दी जावे।	CEM
218.82	आवेदक श्री हुसैन खां को नकद भुगतान पद्वति से अल्प आय वर्ग की श्रेणी में उपलब्ध आवासों/फलैटस में से एक आवास आवंटित करने का निर्णय बाबत।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव में प्रस्तावित पूर्ण निर्मित आवास संख्या 161/159 व 162/60 में से एक आवास लॉटरी के माध्यम से नगद भुगतान पद्वति से आवंटित किये	CEM

218.83	पदौन्नति हेतु कार्यानुभव में शिथिलता प्रदान करने बाबत।	राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदौन्नति विनियम 2010 के विनियम 50 के परंतुक में प्रावधानानुसार अतिरिक्त मुख्य अभियंता, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी एवं संपदा प्रबन्धक के साथ–साथ अन्य पदों पर भी पदौन्नति हेतु निर्धारित कार्यानुभव में 1/3 अवधि की छूट वर्ष 2013–14 में की जाने वाली पदौन्नति के लिये प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	SECRETARY
218.84	राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा–27 एवं धारा–4(1) के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यवाही का संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन बाबत (रामचंद्रपुरा एवं डालावाला)।	प्रस्तावानुसार ग्राम रेनवाल, बीड़ रामचन्द्रपुरा एवं डालावाला, जिला जयपुर में 3535 बीघा 07 बिस्वा भूमि अवाप्ति के प्रस्तावों को धारा 27 एवं धारा 4(1) की दोनों अधिसूचनाये जारी किये जाने के लिये राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का अनुमोदन किया गया।	SECRETARY
218.85	राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा–27 एवं धारा–4(1) के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यवाही का संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन बाबत (वाटिका जिला जयपुर)।	प्रस्तावानुसार ग्राम वाटिका, जिला जयपुर में 68072 हेक्टर भूमि के प्रस्तावो को धारा 27 एवं धारा 4(1) की दोनों अधिसूचनाये जारी किये जाने के लिये राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का अनुमोदन किया गया।	SECRETARY
218.86	राजस्थान आवासन मण्डल में मुख्य अभियंता के नवीन पद सृजित किए जाने बाबत।	विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् मण्डल में गुणवत्ता नियंत्रण एवं पी. एण्ड एम. प्रकोष्ठ के प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु अति.मुख्य अभियंताओं के दो पद मुख्य अभियंता के रूप में क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया। दोनों पद वर्तमान में स्वीकृत अति.मुख्य अभियंताओं के 5 पदों में से क्रमोन्नत किये जायेंगे। ये दोनों मुख्य अभियंताओं वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पास पदस्थापित स्टाफ से ही कार्य संपादित करेंगे इन्हें कोई अतिरिक्त स्टाफ देय नहीं होगा। उक्त निर्णय राज्य सरकार को अनुमति हेतु प्रेषित किया जायेगा।	SECRETARY
218.87	श्री एम एल दुबे, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (से.नि.) को	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त आवास संख्या 4/681,	CEM

	आवास सं. 4/681, जवाहर नगर, जयपुर का आवंटन करने बाबत।	जवाहर नगर, जयपुर को पी.ए.सी. की बैठक दिनांक 4.4.2008 के त्रुटिपूर्ण निर्णय व मण्डल में प्रचलित परंपराओं के मध्ये नजर मण्डल नियमानुसार वर्तमान लागत पर श्री एम.एल. दुबे को आवंटित करने का निर्णय लिया गया तथा श्री दुबे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन संख्या 11761/2008 को वापस लिया जावे तथा उक्त आवास के विरूद्ध यदि मण्डल की कोई बकाया राशि है तो उसका भुगतान नियमानुसार किये जाने के उपरान्त ही आवास का भौतिक कब्जा दिया जावे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि 1. भविष्य में रेन्टल योजना के अन्तर्गत चिन्हित आवास किसी भी कर्मचारी / अधिकारी को लॉटरी या अन्य प्रकार से स्थाई रूप से आवंटित नहीं किया जावे । 2. किसी भी कर्मचारी/ अधिकारी को रेन्टल आवास योजना के अन्तर्गत आवास आवंटित नहीं किया जावे। 3. वर्तमान में रेन्टल योजना में चिन्हित रिक्त आवास एवं भविष्य में रिक्त होने वाले आवासों का निस्तारण राजस्थान आवासन मंडल सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 के अन्तर्गत किया जावे।	
218.88	भूखण्ड सं. नं. 1, सैक्टर 28, प्रतापनगर सांगानेर, जयपुर का निरस्तीकरण को पुर्न जीवित किये जाने हेतु प्रशासनिक निर्णय बाबत।	प्रस्तावानुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रताप नगर योजना में सेक्टर 28 में आवंटित भूखण्ड संख्या नं. 1 को पुनः बहाल करने का अनुमोदन किया गया।	CEM
218.89	भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया अपनाये बिना खातेदारों की प्राप्त सहमति के आधार पर 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड देकर भूमि प्राप्त करने हेतु।	प्रस्तावानुसार खातेदारी भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही /प्रक्रिया को अपनाये बिना खातेदारों की प्राप्त सहमति पर 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड देकर भूमि प्राप्त करने का	SECRETARY

		अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि इस संबंध में प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जावे।	
218.90	धारा 27 के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि के लिये धारा 4(1) एवं 6(1) की अधिसूचना जारी किये बिना खातेदारों की सहमति से 25 प्रतिशत विकसित भूमि देकर सीधे ही भूमि प्राप्त करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार राज्य सरकार द्वारा धारा 27 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के खातेदारों से धारा 4(1) एवं धारा 6(1) की अधिसूचना जारी किये बिना उनसे 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड देने की सहमति प्राप्त कर भूमि प्राप्त करने का अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि इस संबंध में प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जावे।	SECRETARY
218.91	मण्डल की भूमि समझौता समिति के निर्णय के पश्चात् किसानों को भूमि के पट्टे बॉटने के लिये राज्य सरकार की अनुमति की बाध्यता से मुक्त किये जाने के संबंध में।	आवासन मंडल में भूमि समझौते द्वारा राज्य सरकार की प्रचलित शर्तो के आधार पर ही काश्तकारों को भूखण्ड आवंटित कर प्राप्त की जाती है। इसी आधार पर मंडल द्वारा सीधे ही किसानों को पट्टे भूमि समझौता समिति के निर्णय के साथ ही बॉटे जाने एवं राज्य सरकार से अनुमति की बाध्यता से मुक्त किये जाने का अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि इस संबंध में प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जावे।	SECRETARY
218.92	सभी प्रकार के आवंटित भूखण्डों / प्लिन्थ स्तर / स्कैल्टन स्तर के आवासों पर निर्माण पूर्ण कराये जाने की निर्धारित समयावधि निश्चित करने एवं बढ़ाये जाने हेतु समान नीति अपनाये जाने के संबंध मे।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर व्यावसायिक एवं आवासीय भूखण्ड / प्लिंथ / स्केलटन स्ट्रक्चर पर भी नियत 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने पर आवंटन के समय के भूमि के मूल्य का 5 प्रतिशत वार्षिक प्रशासनिक शुल्क वसूल करते हुए आगामी आठ वर्ष तक का अतिरिक्त समय प्रदान किया जा सकता है। उक्त प्रशासनिक शुल्क की अवधि एक वर्ष से कम होने की स्थिति में अनुपातिक रूप से वसूलनीय होगा एवं इसकी गणना अधूरे माह को पूरा माह मानते हुए किया जावे । उपरोक्तानुसार 10 वर्ष के पश्चात्	CEM

भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर और अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव मंडल को प्रेषित किये जा सकेगा। जिन पर गुणावगुण के आधार पर विचार–विमर्श कर 10 प्रतिशत वार्षिक प्रशासनिक शुल्क वसूल करते हुये निर्माण की अवधि बढ़ाने पर निर्णय किया जा सकेगा।

उपरोक्त प्रकरणों में नाम हस्तांतरण के सम्बन्ध में मण्डल की सक्षम स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्तानुसार देय प्रशासनिक शुल्क के भुगतान की गणना में हस्तान्तरि (Transferee) को मूल आवंटी को कब्जे लिये जाने की तिथि से निर्माण हेतु 2 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी।

उपरोक्त नीति वर्तमान में निर्मित एवं आवंटित स्केल्टन आवासों के आवंटन पर लागू नहीं है, अतः भविष्य में आवंटित होने वाले स्केल्टन आवासों पर लागू होगी।

संस्थागत भूखण्डों के मामले में 2 वर्ष तक निर्माण नही करने पर आवंटन की दिनांक को प्रभावी संथानिक भूखण्ड़ों हेतु निर्धारित विक्रय दर का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रशासनिक शुल्क वसूल करते हुये आगामी तीन वर्ष हेतु निर्माण की अवधि बढ़ाई जा सकेगी।

उक्त प्रशासनिक शुल्क की अवधि एक वर्ष से कम होने की स्थिति में अनुपातिक रूप से वसूलनीय होगा एवं इसकी गणना अधूरे माह को पूरा माह मानते हुए किया जावे ।

उपरोक्तानुसार 5 वर्ष तक भी निर्माण नहीं करने पर आवंटन

		निरस्त किया जावेगा। भूखण्ड मंडल के कब्जे में लिया जावेगा। आवासीय/वाणिज्यिक /संस्थानिक भूखण्डों का आवंटन निरस्त किये जाने पर आवंटियों द्वारा पूर्व में जमा विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत एवं मंडल को देय अन्य कोई राशि की कटौती करते हुये शेष राशि को बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। किसी विशेष परिस्थिति में निरस्त किये गये आवासीय/वाणिज्यिक /संस्थानिक आवंटनों को बहाल करने हेतु आवंटन की निरस्ती के एक वर्ष के अंदर–अंदर प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर मंडल द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। परन्तु बहाल करने की स्थिति में आवंटियों द्वारा बहाली की दिनांक को प्रभावी संबंधित विक्रय दर का 10 प्रतिशत राशि शास्ती के रूप में 30 दिवस की अवधि में जमा कराना होगा साथ ही लीज का निष्पादन भी एक माह की अवधि में पुनः करना होगा। साथ ही बहाली की स्थिति में मंडल द्वारा भूखण्ड को निरस्त कर लौटाई गई (यदि लौटाई गई हो तो) 90 प्रतिशत राशि एवं मंडल द्वारा कटौती की गई या कटौती योग्य 10 प्रतिशत राशि को भी पुनः मंडल में बहाली के 15 दिवस में जमा करानी होगी।	
218.93	प्रताप नगर योजना, जयपुर के सैक्टर 26 स्थित द्वारकापुरी योजना के प्रथम चरण में 2976 फ्लैट्स के निर्माण कार्य के संबंध में।	संचालक मण्डल की दिनांक 25/05/2010 को सम्पन्न 210वीं बैठक में द्वारकापुरी योजना–प्रथम चरण के शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु दो वर्ष की अन्तरिम समयावधि अभिवृद्धि (14/09/2012 तक) प्रदान करने सम्बन्धी निर्णय लिया गया,	CE

		जिसकी राज्य सरकार से भी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी। 215वीं बोर्ड मीटिंग दिनांक 16/02/2012 में निर्णय लिया गया कि अन्तरिम रूप से अभिवृद्धित समयावधि दिनांक 14/09/2012 तक कुल 10 ब्लॉक्स (A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3,, C1, C2, C3) के 1860 फ्लेट्स का निर्माण कार्य आवश्यक रूप से संवेदक से पूर्ण करवाया जावे तथा शेष 06 ब्लॉक्स (D1, D2, D3, E1, E2, E3) में चल रहे निर्माण कार्यों को तुरन्त प्रभाव से रोके जाने तथा इन ब्लॉकों के शेष निर्माण कार्य सहित द्वारकापुरी योजना–द्वितीय चरण के कार्यों को वापस (Withdraw) करने का निर्णय लिया गया। मण्डल के इस निर्णय के विरूद्ध संवेदक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वाद संख्या SBCWP. No. 4751/2012 दायर किया, जिसमें मण्डल की ओर से जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है तथा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। संवेदक द्वारा द्वारकापुरी योजना के कार्य को पूर्ण करने हेतु समुचित समयावधि दिये जाने, विलम्ब के लिए लगाई जाने वाली शास्ति को स्थगित करने एवं मूल्य अभिवृद्धि की मांग किये जाने पर, प्रकरण पुनः संचालक मण्डल की दिनांक 24/04/2013 को आयोजित 218वीं बैठक में रखा गया, जिसमें संवेदक के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। संवेदक द्वारा अपने पक्ष की प्रस्तुति के दौरान कार्य को पूर्ण	

		करने हेतु 30 माह की अन्तरिम समयावधि अभिवृद्धि प्रदान करने की मांग की गई, जिसे आवासीय अभियन्ता–खण्ड दशम् एवं उप आवासन आयुक्त–वृत प्रथम, जयपुर ने उचित बताया। विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त एवं संवेदक के प्रतिनिधि व मण्डल अधिकारियों की आपसी सहमति से, 215वीं बैठक के निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए, द्वारकापुरी योजना–प्रथम चरण के कुल 2976 फ्लेट्स को पूर्ण करवाने एवं 30 माह की अन्तरिम समयावधि बढ़ाये जाने का सशर्त निर्णय कार्य संपादन हेतु उपयोग में ली जा रही विशिष्ट तकनीक संवेदक के पास उपलब्ध होने के मध्येनजर, योजना के प्रतीक्षारत आवेदकों के हित में लिया गया। संवेदक को कार्य पूर्ण करने हेतु संचालक मण्डल की 210वीं बैठक में दिनांक 14/09/2012 तक प्रदत्त की गई अन्तरिम समयावधि के पश्चात, अनुबन्ध को जीवित रखने की दृष्टि से आवासीय अभियन्ता द्वारा समय समय पर अन्तरिम समयावधि अभिवृद्धि जारी की गई, जो कि अन्तिम रूप से दिनांक 14/05/2013 तक प्रदत्त है। द्वारकापुरी–प्रथम चरण में कुल 2976 फ्लेट्स का निर्माण कार्य, 16 ब्लॉक्स (A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, E1, E2, E3) में विभाजित है तथा एक ब्लॉक में 186 फ्लेट्स प्रस्तावित हैं। संचालक मण्डल के निर्णय दिनांक 24/04/2013 से 30 माह की अवधि में संवेदक से द्वारकापुरी योजना–प्रथम चरण	

		के कुल 2976 फ्लेट्स का निर्माण कार्य निम्नानुसार पूर्ण करवाया जायेगा, जिस पर संवेदक द्वारा भी अपनी सहमति दी गई है:— i. 04 फिनिश्ड ब्लॉक्स (A2, A3, A4, C1) में शेष रहे छोटे मोटे कार्य तथा स्केल्टन स्तर के 03 ब्लॉक्स (C2, C3, B1) के सम्पूर्ण कार्यों को निर्णय तिथी से 04 माह की अवधि में पूर्ण करवाया जायेगा। ii. 03 ब्लॉक्स (B2, B3, A1) के संरचनात्मक (Structural) एवं फिनिशिंग कार्य अन्तरिम रूप से अभिवृद्धित समयावधि के 12 माह (प्रथम चरण के बाद 08 माह) में पूर्ण करवाये जायेगें। iii. शेष बचे 06 ब्लॉक्स (D1, D2, D3, E1, E2, E3) की नींव संवेदक के पास उपलब्ध विशेष तकनीक के अनुरूप भरी हुई होने के कारण, इनके संरचनात्मक (Structural) एवं फिनिशिंग कार्यों को पुनः इसी संवेदक से पूर्ण करवाने का निर्णय लिया गया है, जिसे अन्तरिम समयावधि (30 माह) में पूर्ण करवाया जायेगा। **शर्ते :--** i. कार्य सम्पादन में घटित विलम्ब के लिए 'एल0डी0' (L.D.) की मद में रोके जाने वाली राशि को अन्तरिम समयावधि में कार्य पूर्ण किये जाने तक स्थगित (Defer) किया जायेगा। ii. यह अन्तरिम समयावधि अनुबन्ध को जीवित रखने हेतु बोर्ड द्वारा भविष्य में शास्ति लगाने के अधिकार को सुरक्षित	

		रखते हुए, बिना किसी दुर्भावना के स्वीकृत की जाती है। कार्य पूर्ण होने पर, गुण व दोष के आधार पर प्रकरण की समीक्षा कर, सक्षम स्तर से अन्तिम समयावधि का निपटारा किया जायेगा। iii संचालक मण्डल के निर्णय एवं आपसी सहमति से निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप, संवेदक द्वारा चरणबद्ध कार्य सम्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में, उसके विरूद्ध अनुबन्ध में निहित प्रावधानों एवं मण्डल नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जा सकेगी। iv. माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या SBCWP. No. 4751/2012 को संवेदक द्वारा विद्ड्रा किया जायेगा। मंडल के उक्त निर्णय पर संवेदक द्वारा सहमति व्यक्त करते हुये आग्रह किया गया कि परियोजना हेतु मूल्यवृद्धि (Price escalation) की अधिकारिता प्राप्त होने के मध्येनजर, परियोजना पूर्ण होने तक मूल्यवृद्धि (Price escalation) का भुगतान किया जावे तथा द्वितीय चरण के मोबिलाईजेशन अग्रिम ब्याज की वसूली निरस्त की जावे। संवेदक के इस निवेदन पर मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों बिन्दुओं का पृथक से परीक्षण कर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।	
218.94	आवासन मण्डल का वित्तीय वर्ष 2013–14 का बजट अनुमान एवं वर्ष 2012–13	प्रस्तावानुसार पुष्टि की गई।	SECRETARY

	संशोधित बजट परिचलन द्वारा पारित करवाए जाने का संचालक मण्डल से पुष्टि हेतु।		
218.95	बगरू खटीकान कृषि सोसायटी ग्राम बगरू कलां, की भूमि रकबा 101.46 हैक्टेयर आपसी समझौते पर 25 प्रतिशत भूखण्ड देकर भूमि अवाप्त करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जावे।	SECRETARY
218.96	ग्राम सूंथला, चौपासनी योजना व ग्राम जोधपुर में लगभग 150 बीघा 10 बिसवा भूमि के नकद मुआवजे के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड आपसी समझौते के आधार पर दिए जाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जावे।	SECRETARY
218.97	ग्राम सूंथला, चौपासनी योजना जोधपुर के खसरा नं. 123/3 व 125/171 रकबा 50 बीघा 12 बिसवा (राजकीय/सिवायचक भूमि) भूमि के नकद मुआवजे के बदले आपसी संमझौते के आधार पर 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिए जाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जावे।	SECRETARY
218.98	मण्डल की चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर के खसरा सं. 851/751 की 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय में लम्बित प्रकरण के निस्तारण बाबत।	विचार विमर्श उपरान्त यह पाये जाने पर कि प्रश्नगत भूमि पर नगर सुधार न्यास द्वारा 90 बी की कार्यवाही कर पट्टे जारी कर दिये गये है तथा न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा मंडल की अपील खारिज कर दी गई है। अतः विवाद समाप्त करने की दृष्टि से एन.ओ.सी. जारी करने का निर्णय लिया गया।	ACE-II
218.99	राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम–1970 की धारा–27 एवं धारा–4 (1) के	प्रस्तावानुसार नांदड़ाकला, उचियारड़ा, बासनीनिकूबा, जालेली फोजदारा एवं सोढ़ेर की ढ़ाणी, [illegible]	SECRETARY

	अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही का संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदनार्थ।	बिस्वा, 10 बिस्वांशी भूमि अवाप्ति के प्रस्तावों को धारा 27 एवं धारा 4(1) की अधिसूचना जारी किये जाने के लिये राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का अनुमोदन किया गया।	
218.100	जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड को बस डिपो के विकास हेतु मानसरोवर योजना के सैक्टर–4 एस.एफ.एस. में लीज किराये पर भूमि आवंटन की पुष्टि/आवंटन की स्वीकृति बाबत।	प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव की पुष्टि की गई।	CEM
218.101	राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम–1970 की धारा–27 के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही का संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदनार्थ।	प्रस्तावानुसार कस्बा शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर के ग्राम जाजेखुर्द में 50.8172 हैक्टर एवं ग्राम जाजेकलॉ में 92.0515 हैक्टर निजी खातेदारी भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव की धारा 27 की अधिसूचना जारी किये जाने के लिये राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का अनुमोदन किया गया।	SECRETARY
218.102	मण्डल में मुख्य विधि सहायक एवं विधि सहायक के पदनाम परिवर्तन के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	SECRETARY
218.103	राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम 1970 की धारा –27 एवं धारा 4(1) के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही का संचालक मंडल द्वारा अनुमोदनार्थ (मोगड़ाकला, तनावड़ा एवं बाकरासनी,जिला जोधपुर	प्रस्तावानुसार ग्राम मोगड़ाकला, तनावडा एवं बाकरासनी, जिला जोधपुर में 3062 बीघा 14 बिस्वा भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव को धारा 27 एवं धारा 4(1) की अधिसूचना जारी किये जाने के लिये राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का अनुमोदन किया गया।	SECRETARY
218.104	खातेदार श्री ग्यारसा पुत्र गणेश कल्याणपुरा के वाद संख्या 2/92/2 में मुआवजा मूल अवार्ड अथवा संशोधित अवार्ड के अंकितानुसार भुगतान बाबत।	विचार–विमर्श पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण भूमि के अवार्ड के क्षेत्र फल का परीक्षण कर प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जावे	SECRETARY
218.105	दस्तकार नगर योजना, ग्राम नायला, जयपुर में 750 आवासों के निर्माण के संबंध में।	प्रस्तुत विचार बिन्दु पर संचालक मण्डल के सदस्यों को विचार विमर्श के दौरान मुख्य अभियन्ता द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम नायलां में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी	CE

		जाने वाली भूमि पर दस्तकारों हेतु दस्तकार नगर योजना के अन्तर्गत 750 कार्यशाला मय आवासीय इकाई बनाने के मण्डल को प्रदत्त निर्देशों के अन्तर्गत मण्डल द्वारा WBM Road, आवासीय इकाईयों के निर्माण, सर्वेक्षण एवं पर्यावरणिय स्वीकृति आदि कार्यों हेतु कुल 76.45 करोड़ की निविदा सूचना, राज्य सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने की अपेक्षा में, प्रकाशित की गयी। परियोजना की अनुमानित राशि 108.75 करोड़ के विरूद्ध निविदा आमन्त्रण सूचना में सम्मिलित कार्यों पर प्रस्तावित व्यय 76.45 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा पत्रांक प. 8(2)नविवि/1/2007 दिनांक 10. 04.13 द्वारा मण्डल के हित में जारी कर दी गयी है। राज्य सरकार के स्तर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार मण्डल को उक्त योजना के अन्तर्गत आवासीय इकाईयों हेतु दस्तकारों के पंजीकरण से लगभग 375 लाख, राज्य सरकार से प्रति इकाई अनुदान के रूप में लगभग 1875 लाख एवं आन्तरिक विकास हेतु राज्य सरकार से लगभग 2000 लाख अर्थात कुल राशि 4250 लाख प्राप्त होनी संभावित है। उक्त राशि के अतिरिक्त परियोजना पर व्यय की जाने वाली शेष राशि लगभग 66.25 करोड़ रूपये मण्डल द्वारा किसी वित्तीय संस्थान से ऋण अथवा स्वयं के स्त्रोतों से व्यय की जानी है, जिसका पुनर्भरण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दस्तकारों से वसूली जाने वाली किश्तों से प्राप्त राशि से अथवा स्वयं के स्त्रोतों से तिमाही आधार पर आवश्यक रूप से किया जाना है। मुख्य अभियंता द्वारा यह भी बताया गया कि प्रस्तावित योजना हेतु	

		निर्मात्री संस्था के रूप में कार्य करेगी। परियोजना के निर्माणोपरान्त आवासन मण्डल द्वारा सम्पूर्ण परियोजना जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्मित इकाईयों के आवंटन एवं रख–रखाव हेतु हस्तान्तरित कर दी जावेगी एवं परियोजनान्तर्गत भूमि का स्वामित्व जयपुर विकास प्राधिकरण का ही रहेगा। योजना क्रियान्वयन हेतु निर्माण कार्यों पर विभिन्न चरणों जैसे कार्य प्रारम्भ करने हेतु परियोजना लागत का लगभग 10 प्रतिशत एवं प्रत्येक तिमाही में लगभग 30 प्रतिशत राशि व्यय होना संभावित है। जिसके लिये मण्डल द्वारा आवश्यक बजट प्रावधान आदि भी किये जाने आवश्यक होगें। **मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं विचार बिन्दु में उल्लेखित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श के उपरान्त उक्त परियोजना को क्रियान्विति हेतु स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।**	
218.106	अध्यक्ष महोदय के निवास के विद्युत उपभोग राशि के पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	SECRETARY
218.107	राजस्थान आवासन मंडल में वर्तमान में स्टेनोग्राफर के पद को निजी सहायक (पदोन्नति का पद) का नाम परिवर्तन करने के संबंध में।	राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप ही कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।	SECRETARY
218.108	मंडल में कार्यरत ट्रैसरों के पदों को कनिष्ठ प्रारूपकार के पद पर क्रमोन्नत करने के संबंध में।	विचार–विमर्श पश्चात् मण्डल में ट्रैसर के समस्त पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि मण्डल में कार्यरत सभी 8 ट्रैसरों को कनिष्ठ प्रारूपकार के सीधे भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्ध पदौन्नति से भरा जावे। इसके लिये नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया।	SECRETARY
218.109	सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्त	विचार–विमर्श पश्चात् मंडल में उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध सेवा	SECRETARY

		आधार पर नियुक्ति दिये जाने का अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे कर्मियों को वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा।	
218.110	राजस्थान आवासन मंडल के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भॉति मंहगाई भत्ते की स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	FA & CAO

विचार विमर्श के दौरान निम्न बिन्दुओं पर भी चर्चा की गई एवं निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—

1. राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रा स्ट्रक्चर लि. को जवाहर नगर,जयपुर में आवास संख्या 4—स—24 मंत्री मंडल आज्ञा 150/2011 (शासन उप सचिव—प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राज.सरकार के पत्र क्रमांक प 5(8)नविवि/3/2009, दिनांक 5.3.2013) के अनुसार आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
2. राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रा स्ट्रक्चर लि. को मंडल की मानसरोवर योजना में 1500 वर्ग मीटर भूमि मंत्री मंडल आज्ञा 150/2011 (शासन उप सचिव—प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राज.सरकार के पत्र क्रमांक प 5(8)नविवि/3/2009, दिनांक 5.3.2013) के अनुसार आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
3. मंडल के इंदिरा गांधी नगर, जयपुर योजना में बस स्टेंण्ड के प्रयोजनार्थ लगभग 2000 वर्ग मीटर भूमि का आरक्षण किया जाये।
4. आवासन मंडल की विकसित कॉलोनियो को नगर निकायों को हस्तान्तरित किया जाता है । परंतु हस्तान्तरण की शर्तों मे एकरूपता का अभाव महसूस किया जा रहा है। अतः इसके लिये अलग से नीति बनाकर राज्य सरकार को भेजी जावे।
5. सेक्टर 8 अरावली मार्ग मानसरोवर स्थित पार्क भूमि को कैम्ब्रीज कोर्ट हाई स्कूल के विद्यार्थियों को खेल—कूद के उपयोग की अनुमति के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। यह पार्क वर्तमान में राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी विकास समिति, मानसरोवर, जयपुर को रख—रखाव हेतु दिया हुआ है। अतः विद्यालय की मांग के संदर्भ में पत्रावली में परीक्षण कर उचित कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 219वीं बैठक दिनांक 08.07.2013 को 4.00 बजे अपरान्ह में माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :—

1	श्री परसराम मोरदिया	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2	श्री जी॰एस॰ संधू	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
3	श्री डॉ. आर. वेंकटेश्वरन	आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	सदस्य
4	श्री टीकम चन्द बोहरा	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल—सचिव

शासन सचिव वित्त (बजट), श्री अखिल अरोड़ा एवं मुख्य नगर नियाजक श्री एन.के.खरे के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण, मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित रहे :—

1.	श्री एन॰के॰ गुप्ता	संयुक्त शासन सचिव, प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राज॰सरकार
2	श्री के॰सी॰ मीणा	मुख्य अभियन्ता, राज॰आवा॰मण्डल
3	श्री डी.सी.चौधरी	वित्तीयसलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी,राज॰आवा॰मण्डल
4	श्री जयवीर जाखड़	अति.मुख्य नगर नियोजक, राज.आवासन मंडल

—:: कार्यवाही विवरण ::—

विचार बिन्दु संख्या	विषय	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
219.1	दिनांक 24.04.2013 को सम्पन्न हुई मण्डल की 218वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	218वीं बैठक दिनांक 24.04.2013 के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
219.2	दिनांक 24.04.2013 को सम्पन्न हुई मण्डल की 218वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन।	218वीं बैठक की क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary

219.3	मण्डल के विभिन्न समितियों के निर्णयों का अवलोकन।		Secretary
	219.3.1 सम्पति आंवटन समिति की बैठक दिनांक 10.06.13 में लिए गए निर्णयों का अवलोकन।	सम्पति आंवटन समिति की बैठक दिनांक 10.06.13 में लिए गए निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।	CEM
	219.3.2 कार्य समिति की बैठक दिनांक 17.05.13 में लिए गए निर्णयों का अवलोकन।	कार्य समिति की बैठक दिनांक 17.05.13 में लिए गए निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।	TA to CM
	219.3.3 परियोजना समिति की बैठक दिनांक 18.03.13 एव दिनांक 15.04.13 में लिए गए निर्णयों का अवलोकन।	परियोजना समिति की बैठक दिनांक 18.03.13 एवं दिनांक 15.04.13 में लिए गए निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।	ACTP
219.4	इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर क सेक्टर 11 में मध्यम आय वर्ग ब के 117 आवासों के निमार्ण हेतु संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.5	आवासन मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अनाधिकृत अस्पतालों में कराये गये इलाज के चिकित्सा राशि का पुर्नभरण की स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार अब तक के प्राप्त प्रकरणों में पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान की गई एवं भविष्य के इस प्रकार के प्रकरणों के संबंध में कमेटी गठित कर सीमायें निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।	FA
219.6	अवयस्क अवस्था में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरण में व्यस्क होने की अवधि तक आयु में शिथिलता प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	Secretrary
219.7	प्रताप नगर योजना जयपुर के सेक्टर 11 में उच्च आय वर्ग के (जी +2), 96 बहुमंजिला आवासों के फर्निशिगं कार्यो हेतु संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.8	प्रताप नगर योजना जयपुर के सेक्टर 26 में उच्च आय वर्ग के (बी +एस+10), 80 बहुमंजिला आवासों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.9	EX- Post facto approval of tender for the construction of MIG-A-48 Nos. (G+3) Ph-III, Zone-II, Arawali Vihar, Bhiwadi.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE

219.23	EX- Post facto approval of tender for the construction of EWS-103 Nos. Houses, Zone-III at Suwana Housing Scheme, Bhilwara.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.24	EX- Post facto approval of tender for the construction of LIG-48 Nos. (G+3) Flats, Zone-IV, (C) Multistoried at Vivek Vihar Yojana, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.25	EX- Post facto approval for rejection of tender for the construction of EWS-95 Nos.Houses at, Zone C, Rajeev Gandhi Nagar, HousingScheme, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.26	EX- Post facto approval of tender for the construction of LIG-64 Nos. (G+3) Flats Ph-III, Zone-IV, Arawali Vihar, Bhiwadi.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.27	प्रताप नगर योजना, जयपुर क सेक्टर 29 में कमजोर आय वर्ग के (G+3) 416 बहुमंजिला आवासों के निमार्ण हेतु संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.28	EX- Post facto approval of rejection of technical bid for the construction of EWS 79 Nos houses at Rajeev Gandhi Nagar Housing Scheme, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.29	EX- Post facto approval of rejection of technical bid for the construction of EWS 117 Nos houses Zone-D at Rajeev Gandhi Nagar Housing Scheme, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.30	EX- Post facto approval of rejection of technical bid for the construction of EWS 105 Nos houses Zone-A at Rajeev Gandhi Nagar Housing Scheme, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.31	EX- Post facto approval of rejection of technical bid for the construction of MIG-A (G+2) 36 Nos flats at Office Campus Zone-A, Jaisalmer.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.32	EX- Post facto approval of rejection of technical bid for the construction of MIG-A (G+2) 36 Nos flats at Office Campus Zone-B, Jaisalmer.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.33	EX- Post facto approval of rejection of technical bid for the construction of MIG-A-34 Nos houses at Manpura Housing Scheme, Zone-A, Abu-Road.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.34	राजस्थान आवासन मण्डल में मुख्य अभियन्ता के दो नवीन पद सृजित करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार मंडल में मुख्य अभियंता के दो नवीन पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।	Secretary

219.10	EX- Post facto approval of tender for the construction of MIG-B-72 Nos. (S+9) Flats At DwarkapathMansarower, Jaipur.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.11	EX- Post facto approval of tender for the construction of MIG-A-48 Nos. (G+3) Ph-III, Zone-IV, Arawali Vihar, Bhiwadi.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.12	EX- Post facto approval of tender for the construction of MIG-A-44 Nos. Houses, Zone-VII, at Suwana Housing Scheme, Bhilwara.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.13	EX- Post facto approval of tender for the construction of LIG-48 Nos. (G+3) Falts, Zone-IV, (A) Multistoried at Vivek Vihar Yojana, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.14	EX- Post facto approval of tender for the construction of MIG-38 Nos. Houses at New RHB Scheme near DTO Office, Hanumangarh.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.15	EX- Post facto approval of tender for the construction of MIG-A-56 Nos. Houses, Zone-VI, at Suwana Housing Scheme, Bhilwara.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.16	EX- Post facto approval of tender for the construction of LIG-48 Nos. (G+3) Flats, Zone-V, Multistoried at Vivek Vihar Yojana, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.17	EX- Post facto approval of tender for the construction of MIG-A-32 Nos. (G+3) Flats, under SFS at South extention Udaipur.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.18	EX- Post facto approval of tender for the construction of EWS-138 Nos. Houses, Zone-II, at Suwana Housing Scheme, Bhilwara.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.19	EX- Post facto approval of tender for the construction of LIG-48 Nos. (G+3) Flats, Zone-IV, (B) Multistoried at Vivek Vihar Yojana, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.20	EX- Post facto approval for rejection of tender for the construction of EWS-83 Nos. Houses at, Zone B, Rajeev Gandhi Nagar,Housing Scheme, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.21	Revision of A & F for construction of MIG-A (G+3) 144 Nos. Flats at Govardhan Vilas Udaipur.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.22	EX- Post facto approval of tender for the construction of LIG-76 Nos. Houses, at Suwana Housing Scheme, Bhilwara.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE

219.35	सामान्य भविष्य निधि की जमा राशि एवं आहरण पर संशोधित ब्याज दरो का प्रस्ताव भिजवानें के संबंध में ।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
219.36	प्रताप नगर योजना जयपुर के सेक्टर 17 में मध्यम आय वर्ग अ के (S+9), 72 बहुमंजिला आवासों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एंव वितिय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति (Ex Post Facto Approval) बाबत ।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.37	उप नगर नियोजक एवं सहायक नगरनियोजक / सहायकवास्तुविद् के पदों को मण्डल के ड्राईग संवर्ग के अधिकारियों / कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा भरने के संबंध में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम--2010में संशोधन बाबत्।	प्रस्तावानुसार मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से योग्यता अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु मंडल के सेवा नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया । संशोधन प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जावे।	Secretary
219.38	प्रताप नगर योजना, जयपुर के सैक्टर--11 मे मध्यम आय वर्ग--ब के (S+10) ,80 बहुमंजिला आवास जोन--प्रथम, व्यास अपार्टमेंट के निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.39	प्रताप नगर योजना, जयपुर के सैक्टर--29 में मध्यम आय वर्ग--ब के (S+10) ,110 बहुमंजिला आवास, ब्लॉक बी--1 प्रताप अपार्टमेंट के निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.40	प्रताप नगर योजना, जयपुर के सैक्टर--29 प्रताप अपार्टमेंट ब्लॉक डी में उच्च आय वर्ग--II के 10 (S+10) बहुमंजिला आवासों के निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.41	प्रताप नगर योजना, जयपुर के सैक्टर--08 में मध्यम आय वर्ग--ब के (S+11) ,88 बहुमंजिला आवास, एस.एफ.एस. प्रताप नगर के निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.42	राजस्थान आवासन मण्डल में कंम्प्यूटरीकरण बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया एवं स्वीकृति प्रदान की गई।	ACP

219.43	गुणवत्ता नियंत्रण के लिये तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण करवाने बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
219.44	दस्तकार नगर योजना ग्राम–नायला,तहसील–जमवारामगढ, जिला जयपुर के संबंध में वर्तमान वस्तुस्थिति रिपोर्ट अवलोकनार्थ।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.45	आवंटी को आवंटन/निलामी में वितरित सम्पत्ति की मांग राशि निर्धारित समय पर जमा नही कराने पर प्रक्रिया शुल्क जब्त करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई तथा विचार–विमर्श उपरान्त सकल राशि के स्थान पर बकाया राशि पर 01 प्रतिशत प्रक्रिया शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया।	FA
219.46	मण्डल में अनुबंधित वाहनों की स्वीकृत दर राज्य सरकार के अनुरूप बढाये जाने की स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	Secretary
219.47	हरिदेव जोशी, पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के उपयोग हेतु सैक्टर–02 इंदिरा गॉधी नगर योजना स्थित विधालय परिसर के पुनरोद्वार एवं मरम्मत के पश्चात अस्थाई रूप से हस्तानान्तरण हेतु।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
219.48	राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भविष्य में विकसित की जाने वाली आवासीय योजनाओं को स्थानीय निकाय को हस्तानान्तरित करने के संबंध में।	विस्तृत पैकेज तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।	ACTP
219.49	मण्डल के आवासीय योजनाओं में आवंटित प्लिंथ स्तर के आवासों के आवंटन पश्चात दो वर्ष की अवधि में निर्माण नही कराये जाने पर वसूलनीय प्रशासनिक शुल्क के संबंध में।	मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवंटित प्लिंथ स्तर के आवासों के आवंटन पश्चात् 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य कराये जाने की समयावधि को बढाने के सम्बन्ध में मण्डल की 218 वीं बैठक दिनांक 24.04.2013 में लिये गये निर्णय बिन्दु संख्या 218.92 के कम में जारी आदेश के संबंध में आवंटियों द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय एवं आवासन आयुक्त महोदय से निवेदन किया गया कि मण्डल द्वारा निर्धारित प्रशासनिक शुल्क अधिक है। अतः विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार आमजन की सुविधा के मध्य नजर रखते हुए प्रशासनिक शुल्क में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया :– **(I) (अ)व्यावसायिक एवं आवासीय भूखण्ड/प्लिंथ/स्केलटन स्ट्रक्चर** पर भी नियत 2 वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने पर आवंटन के समय के भूमि के मूल्य का 1 प्रतिशत वार्षिक प्रशासनिक शुल्क वसूल करते हुए आगामी आठ वर्ष तक का अतिरिक्त समय प्रदान किया जा सकता है। उक्त प्रशासनिक शुल्क की अवधि एक वर्ष से कम होने की स्थिति [illegible]	CEM

इसकी गणना अधूरे माह को पूरा माह मानते हुए की जावेगी।

(ब)उपरोक्तानुसार 10 वर्ष के पश्चात् भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर और अवधि बढाने का प्रस्ताव मण्डल को प्रेषित किया जा सकेगा। जिस पर गुणावगुण के आधार पर विचार विमर्श कर 10 वर्ष की पश्चातवर्ती अवधि के लिए 2 प्रतिशत वार्षिक प्रशासनिक शुल्क वसूल करते हुए निर्माण की अवधि बढाने पर निर्णय लिया जा सकेगा। उक्त प्रशासनिक शुल्क की अवधि एक वर्ष से कम होने की स्थिति में शुल्क आनुपातिक रूप से वसूलनीय होगा एवं इसकी गणना अधूरे माह को पूरा माह मानते हुए की जावेगी।

(स)उपरोक्त प्रकरणों में मण्डल के नियमानुसार नाम हस्तांतरण के उपरान्त उपरोक्तानुसार देय प्रशासनिक शुल्क के भुगतान की गणना में ट्रांसफरी को कब्जा लिए जाने की तिथि से निर्माण हेतु 2 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

(द)उपरोक्त नीति वर्तमान में निर्मित एवं आवंटित स्केलटन निर्माणों के आवंटन पर लागू नहीं है। अतः भविष्य में आवंटित होने वाले स्कलेटन आवासों एवं व्यावसायिक आवंटनों पर उपरोक्तानुसार नीति लागू होगी।

(II) (अ)संस्थागत भूखण्डों के मामले में 2 वर्ष तक निर्माण नहीं करने पर आवंटन की दिनांक का प्रभावी संस्थानिक भूखण्डों हेतु निर्धारित विक्रय दर का 1 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से पशासनिक शुल्क वसूल करते हुए आगामी 3 वर्ष हेतु निर्माण की अवधि बढाई जा सकेगी।

(ब)उपरोक्त अवधि 1 वर्ष से कम होने की स्थिति में प्रशासनिक शुल्क की गणना अनुपातिक रूप से की जाकर वसूलनीय होगी एवं इसकी गणना अधूरे माह को पूरा माह मानते हुए की जावेगी।

उपरोक्तानुसार 5 वर्ष तक भी निर्माण नहीं कराने पर आवंटन निरस्त हो जायेगा एवं भूखण्ड मण्डल के कब्जे में ले लिया जावेगा।

(III) (अ)आवासीय/वाणिज्यिक/संस्थानिक भूखण्डों का आवंटन निरस्त किये जाने पर आवंटियों द्वारा पूर्व में जमा विक्रय मूल्य की 5 प्रतिशत राशि एवं मण्डल को देय अन्य कोई राशि की कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

(ब)किसी विशेष परिस्थिति में निरस्त किये गये आवासीय / वाणिज्यिक / संस्थानिक आवंटनो

		को बहाल करने हेतु निरस्तीकरण की एक वर्ष की अवधि के अन्दर–अन्दर प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर मण्ड़ल द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा । परन्तु बहाल करने की स्थिति में आवंटियों द्वारा बहाली की दिनांक को प्रभावी सम्बन्धित विक्रय दर की 5 प्रतिशत राशि शास्ती के रूप में डिमाण्ड नोटिस के 30 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। (स)आवंटन बहाली की स्थिति में मण्डल द्वारा भूखण्ड को निरस्त कर III (अ) के तहत लौटाई गई (यदि लौटाई गई हो तो) 95 प्रतिशत राशि एवं मण्डल द्वारा कटौती की गई या कटौती योग्य 5 प्रतिशत राशि को भी आवंटी को पुनः मण्डल में बहाली के आदेश से 15 दिवस में जमा करानी होगी। आवंटन निरस्तीकरण के उपरान्त यदि पूर्व में जारी लीजडीड को निरस्त कर दिया गया हो तो आवंटन बहाली के पश्चात् पुनः संशोधित लीजडीड जारी की जावेगी। **(IV)** भवन विनियम, 2010 के अनुसार भवन अनुज्ञा की अवधि सात वर्ष है। निर्माण पूर्ण नहीं होने पर अनुज्ञा की अवधि भवन मानचित्र समिति द्वारा केवल आवेदन की कीमत एवं जांच–फीस लेकर 2 वर्ष के लिए बढाई जा सकेगी। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त भवन विनियम, 2010 में दर्शाये गये अनुज्ञा अवधि मात्र स्वीकृत मानचित्र की वैधता से सम्बन्ध रखता है न कि संस्थानिक भूखण्ड धारी को भूखण्ड आवंटन की शर्तो में किसी प्रकार की रियायत देता है। अर्थात भवन निर्माण अनुज्ञा की अवधि एवं आवंटन की शर्तो के अनुसार निर्माण करने की अवधि इन दोनों में एक दूसरे का पूरक होने का कोई विधिक सम्बन्ध नहीं है। अतः संस्थानिक भूखण्डधारी को आवंटन की शर्तो के अनुसार ही भवन निर्माण करना होगा। तदनुसार ही भूखण्डधारी को उचित एवं आवश्यक कदम उठाने होंगे ताकि आवंटन की शर्तो की अवधि में ही निर्माण पूर्ण हो सके। भवन–मानचित्र स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संस्था को किया गया आवंटन प्रभावी है एवं संस्था को निर्धारित अवधि में ही निर्माण कार्य पूर्ण कराना होगा। आवंटन पत्र, लीज डीड एवं भवन मानचित्र स्वीकृति पत्र पर उक्त शर्त अनिवार्य रूप से अंकित की जावे।	
219.50	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा में राजस्थान कैडर एवं राजस्थान मूल के अन्य राज्यों में पदस्थापित अधिकारियों के लिये प्रस्तावित विशिष्ट पंजीकरण	प्रस्तावानुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा में राजस्थान कैडर एवं राजस्थान मूल के अन्य राज्यों में पदस्थापित अधिकारियों के लिये प्रस्तावित विशिष्ट पंजीकरण योजना खोलने की सहमति प्रदान की	CEM

	सहमति प्रदत्त किये जाने के संबंध में।	गई।	
219.51	मण्डल की (जी+3) से अधिक बहुमंजिलिये परियोजनाओं में बाहय स्त्रोतन से मण्डल में पंजीकृत वास्तुविदों से वास्तुविद्वय सेवायें लिये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	ACTP
219.52	वित्तीय वर्ष 2012–13 (कर निर्धारण वर्ष 2013–14) के बोर्ड के वित्तीय खाते तैयार करने, खातों का कर–अंकेक्षण एवं धारा–44 ए,बी एण्ड 12ए (1)(बी) के तहत प्रारूप 10 (बी) में रिपोर्ट तैयार कर बोर्ड की आयकर विवरणिका प्रस्तुत करने के कार्य हेतु बोर्ड के चार्टेड एकाउटेंट का बोर्ड–बैठक में स्वीकृति हेतु।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
219.53	राज्य कर्मचारियों को रियायती दरों पर आवासों की उपलब्धता बाबत राज्य सरकार की आवास नीति का राजस्थान आवासन मंडल में क्रियान्वयन करने हेतु।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
219.54	आवासन मंडल की आवासीय योजनाओं में 90 वर्ग गज से कम आवास आवंटन होने के उपरान्त दूसरे पंजीकरण के संबंध में।	प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए इसे आगामी बैठक में अंतिम निर्णय हेतु रखने का निर्णय लिया गया। मंडल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 में आवश्यक संशोधन प्रस्ताव आगामी बैठक में उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जावे।	CEM
219.55	कार्यरत ट्रेसरों को कनिष्ठ प्रारूपकार के पद पर क्रमोन्नत किये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार बिन्दु संख्या 218.108 के निर्णय में आंशिक संशोधन कर ट्रेसर के पदों को कनिष्ठ प्रारूपकार में समायोजित कर सभी कार्यरत ट्रेसरों को पदोन्नति के स्थान पर कनिष्ठ प्रारूपकार के पद पर क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया। जिसके अनुसार राजस्थान आवसन मंडल कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 2010 में भी आवश्यक संशोधन किये जाने तथा संशोधन प्रारूप मंडल की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
219.56	माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:– जयपुर मैट्रो रेल कार्पोरेशन के स्टाफ हेतु फ्लेट्स के विशेष आवंटन के संबंध में।	मैट्रो रेल कार्पोरेशन के स्टॉफ हेतु प्रताप नगर योजना के व्यास अपार्टमेन्ट में 30 फलेटों के विशेष आवंटन एवं मानसरोवर योजना के सैक्टर 1 में भृगुपथ पर ग्रुप हाउसिंग (ब्लॉक–सी) के 30 फलैट्स के विशेष आवंटन के प्रस्तुत प्रस्ताव का संचालक मंडल द्वारा अवलोकन किया गया।	CEM

219.57	माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:– दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति की मंडल सेवा में पदोन्नति/ चयनित वेतनमान हेतु अपात्रता से संबंधित प्रावधानों को लागू करने की तिथि के संबंध में।	मंडल के विभिन्न कार्मिकों के द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष यह ज्ञापन प्रस्तुत किया कि राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम 2010 के प्रावधान मंडल में दिनांक 7.1.2011 को लागू किये गये है और इन नियमों का प्रभाव भी दिनांक 7.1.2011 से देय पदोन्नति अथवा चयनित वेतनमान के मामलों में लागू होने चाहिये न कि भूतलक्षी प्रभाव से । कार्मिकों के द्वारा अपने ज्ञापन के समर्थन में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक डी–110, दिनांक 5.9.2011 की प्रति संलग्न करते हुये यह अवगत कराया है कि दो से अधिक संतान होने की दशा में पदोन्नति हेतु अपात्रता का नियम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. में दिनांक 1.4.2012 से लागू किया गया है। इस संबंध में विचार–विमर्श किया जाकर यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम 2010 के प्रावधान मंडल में दिनांक 7.1.2011 से लागू किये गये है। अतः राजस्थान सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक /क–2/95 पार्ट, दिनांक 20.06.2001 एवं 13.8.2004 में वर्णित दो से अधिक संतान होने पर पदोन्नति /चयनित वेतनमान संबंधी प्रावधान मंडल में दिनांक 7.1.2011 से ही लागू होंगे। तदनुसार दिनांक 7.1.2011 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने की दशा में मंडल में कार्यरत कार्मिक की पदोन्नति पर उस तारीख से जिसको उसकी पदोन्नति /चयनित वेतनमान देय हो जाती है, 5 वर्ष तक विचार नहीं किया जायेगा । राज्य सरकार के उक्त आदेशों में वर्णित अन्य शर्ते कट–ऑफ–डेट 7.1.2011 मानते हुये मंडल में यथावत लागू होंगे। मंडल में सीधी भर्ती के प्रकरणों में दो से अधिक संतान संबंधी प्रावधान दिनांक 1.6.2002 से ही लागू होंगे।	Secretary

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

आज्ञा से,

30/07/13

(टीकम चन्द बोहरा)
सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 220वीं बैठक दिनांक 06.09.2013 को 3.00 बजे अपरान्ह मे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1	श्री परसराम मोरदिया	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2	श्री जी.एस. संधू	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
3	श्री डॉ आर. वेंकटेश्वरन	आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	सदस्य
4	श्री एन.के.खरे	मुख्य नगर नियोजक, राज.सरकार	सदस्य
4	श्री जी.एस.बाघेला	मुख्य अभियंता–प्रथम एवं सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल–सचिव

शासन सचिव वित्त (बजट), श्री अखिल अरोड़ा के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित रहे :–

1	श्री के.सी. मीणा	मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, राज.आवा.मण्डल
2	श्री एच.एस.शर्मा	मुख्य अभियन्ता–मुख्यालय, राज.आवा.मण्डल
3.	श्री सुनील राय	निदेशक(विधि), राज.आवासन मंडल
4	श्री डी.सी.चौधरी	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी,राज.आवा.मण्डल
5	श्री जयवीर जाखड़	अति.मुख्य नगर नियोजक, राज.आवासन मंडल
6.	श्री कर्ण सिंह गोठवाल	संपदा प्रबन्धक, मुख्यालय, राज.आवासन मंडल
7.	श्रीमती मृत्तिका सैनी	संपदा प्रबन्धक (भूमि), राज.आवासन मंडल

–:: कार्यवाही विवरण ::–

विचार बिन्दु संख्या	विषय	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
220.1	दिनांक 08.07.2013 को सम्पन्न हुई मण्डल की 219वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	219वीं बैठक दिनांक 08.07.2013 के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
220.2	दिनांक 08.07.2013 को सम्पन्न हुई मण्डल की 219वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन।	219वीं बैठक की क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary

220.3	मण्डल की विभिन्न समितियों के निर्णयों का अवलोकन।		Secretary
	220.3.1 विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06.08.2013 एवं दिनांक 22.08.2013 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन।	विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06.08.2013 एवं दिनांक 22.08.2013 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।	Secretary
	220.3.2 सम्पति आंवटन समिति की बैठक दिनांक 12.07.13 एवं दिनांक 08.08.2013 में लिए गए निर्णयों का अवलोकन।	सम्पति आंवटन समिति की बैठक दिनांक 12.07.13 एवं दिनांक 08.08.2013 में लिए गए निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।	CEM
	220.3.3 परियोजना समिति की बैठक दिनांक 25.07.13 एवं दिनांक 27.8.13 में लिए गए निर्णयों का अवलोकन।	परियोजना समिति की बैठक दिनांक 25.07.13 एवं दिनांक 27.8.13 में लिए गए निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।	ACTP
	220.3.4 भूमि समझौता समिति की बैठक दिनांक 08.08.2013 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन।	भूमि समझौता समिति की बैठक दिनांक 08.08.2013 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।	Secretary
220.4	Ex Post facto approval of tender for the construction of LIG-65 Nos. Zone-a at Manpura scheme-Abu Road.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
220.5	अरावली विहार, भिवाडी में पेज–III जोन–I, II एवं III में अल्प आय वर्ग के 224 फ्लेटस (जी+3) के कार्य हेतु मण्डल बैठक के प्रत्याशा में जारी संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
220.6	Ex Post facto approval for rejection of tender for the construction of LIG-48 Nos. (G+3) Zone-IV (B) Multistoried flats at Vivek Vihar Yojana, Jodhpur	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE

220.7	Ex Post facto approval for rejection of tender for the construction of LIG-48 Nos. (G+3) Zone-IV (C) Multistoried flats at Vivek Vihar Yojana, Jodhpur	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
220.8	Ex Post facto approval for rejection of tender for the construction of LIG-48 Nos. (G+3) Zone-IV (A) Multistoried flats at Vivek Vihar Yojana, Jodhpur	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
220.9	Ex Post facto approval for rejection of Financial bid for the construction of LIG-80 Nos. Houses Zone-II at New RHB Scheme Near DTO Office, Hanuman Garh.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
220.10	बाडी रोड, धोलपुर योजना के सेक्टर–4 में अल्प आय वर्ग के 128 प्लेटस (जी+3) के निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
220.11	अरावली विहार, भिवाडी आवासीय योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 208 प्लेटस (जी+3) जोन–II के कार्य हेतु मण्डल बैठक के प्रत्याशा में जारी संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
220.12	अरावली विहार, भिवाडी आवासीय योजना में मध्यम आय वर्ग "अ" के 160 प्लेटस (जी+3) के कार्य हेतु मण्डल बैठक के प्रत्याशा में जारी संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE

220.13	अरावली विहार, भिवाडी में फेज–III, जोन–I एवं II में अल्प आय वर्ग के 224 प्लेटस (जी+3) के कार्य हेतु मण्डल बैठक के प्रत्याशा में जारी संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE
220.14	मण्डल की मानसरोवर योजना, जयपुर के द्वारका पथ पर मध्यम आय वर्ग ब के 96 बहुमंजिले आवासों (बी+एस+12) के निर्माण कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
220.15	किशनगढ योजना फेज–चतुर्थ, खोडा गणेश रोड, किशनगढ के मध्यम आय वर्ग 'ब' 75 आवासों की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
220.16	किशनगढ योजना फेज–चतुर्थ, खोडा गणेश रोड, किशनगढ के अल्प आय वर्ग के 250 आवासों की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
220.17	किशनगढ योजना फेज–चतुर्थ, खोडा गणेश रोड, किशनगढ के मध्यम आय वर्ग 'अ' के 125 आवासों की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
220.18	किशनगढ योजना फेज–चतुर्थ, खोडा गणेश रोड, किशनगढ के आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 500 आवासों की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
220.19	मानसरोवर योजना में द्वारका पथ पर उच्च आय वर्ग के 72 फ्लैटस (एस+9) की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE
220.20	Tender for the construction of MIG-B-24 Nos. (SFS) Multi-stories Flats Sector-04, Indra Gandhi Avasia Yojana, KBS, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-II

220.21	न्यूनतम विक्रय मूल्य (Minimum sale Price-MSP) के नाम को न्यूनतम बोली मु'ल्य (Minimum Bid Price-MBP) में परिवर्तन बाबत्।	विचार–विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार "न्यूनतम विक्रय मूल्य" (Minimum Sale Price-MSP) के नाम को "न्यूनतम बोली मूल्य" (Minimum Bid Price-MBP) में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया।	FA
220.22	Tender for the Construction of LIG-48 Nos (G+3) Multi Storey Flats (Zone-A-1) at KBS Ph-II Pali Road, Jodhpur	इस कार्य की एकल निविदा में मै0 अनिल राहोरिया द्वारा RHB. BSR.' 2012 पर मूलतः 27.17% above की दर डाली गई थी। मण्डल द्वारा नेगोशियेशन आमन्त्रित किये जाने पर, संवेदक द्वारा संशोधित दरें प्रस्तुत नहीं की गई। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जोधपुर द्वारा इस कार्य को 25.97% above की दर पर स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की गई थी। निविदा संचालक मण्डल के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत की गई। बैठक में विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त, संचालक मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्य के एकल निविदादाता मै0 अनिल राहोरिया को RHB. BSR.' 2012 पर 25.97% above की दर से काऊण्टर ऑफर जारी किया जावे तथा काऊण्टर ऑफर स्वीकार करने की स्थिति में, नियमानुसार निविदा स्वीकृत कर दी जावे अन्यथा निविदा निरस्त कर पुनः आमन्त्रित की जावे।	CE-II
220.23	श्री सुदेश कुमार को कमला नेहरु नगर, पाली में आवंटित आवास संख्या 4/214, के निरस्त आवंटन को बहाल करने एवं तत्पश्चात श्री बुद्धि प्रकाश माथुर के नाम नियमितिकरण करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CEM
220.24	मण्डल में कार्यरत ट्रेसरों को कनिष्ठ प्रारुपकार के पदों पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में	विचार–विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि फैरोमेन एवं ट्रेसर के पदों को मृत पद घोषित कर दिया जावें। दोनो संवर्ग के पद समाप्त होने के बाद कनिष्ठ प्रारूपकार के पद 100 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जावें, तदानुसार नियमों में संशोधन हेतु अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से आदेश जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary

220.25	राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम–1970 की धारा 27 एवं धारा–4(1) के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही का संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन	विचार–विमर्श पश्चात् प्रस्ताव को ड्रोप करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
220.26	कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, जोधपुर में लेखाधिकारी के पद के स्थान पर वरिष्ठ लेखाधिकारी का पद स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	Secretary
220.27	श्री रमेश गुरनानी द्वारा सड़क निर्माण हेतु मानसरोवर योजना, जयपुर के एस.एफ.एस. सैक्टर–6 गजपथ को न्यू सांगानेर रोड से जोड़ने हेतु मण्डल द्वारा खातेदार से ली गयी अवाप्ति से बाहर की भूमि के बदले भूमि आवंटित किये जाने बाबत्।	विचार–विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।	Secretary
220.28	प्रताप नगर योजना, सांगानेर के अजय मार्ग, व हलदी घाटी मार्ग में आ रहे अजय नगर के भूखण्ड धारियों को भूमि के बदले भूमि दिये जाने बाबत्।	विचार–विमर्श पश्चात् प्रकरण को पुनः न्यायिक परीक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया। परीक्षण उपरान्त प्रस्ताव पुनः संचालक मण्डल के समक्ष निणयार्थ प्रस्तुत किया जावें।	Secretary
220.29	दी राजहंस को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड को समिति द्वारा मालवीय नगर योजना में सडक निर्माण हेतु समर्पित 728 वर्गमीटर भूमि के स्थान पर अन्य भूमि प्रताप नगर योजना में आवंटित करने के संबंध में।	विचार–विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।	Secretary
220.30	प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के प्रताप अपार्टमेन्ट सैक्टर–29 के उच्च आय वर्ग–प्रथम के 40 व उच्च आय वर्ग–द्वितीय के 10 (बी+10) फ्लेटस ब्लाक बी के कार्य हेतु मण्डल बैठक की प्रत्याक्षा में जारी प्रसासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।	CE-I
220.31	Tender for the construction of MIG-A-39 Nos. (SFS) Houses at old RHB Colony, Hanuman Garh.	इस कार्य की एकल निविदा में मै0 सतीश कुमार एण्ड कं0 द्वारा RHB. BSR.' 2013 पर मूलतः 22.78% above की दर डाली गई थी। मण्डल द्वारा नेगोशियेशन आमन्त्रित किये जाने पर, संवेदक द्वारा 21.12% above की संशोधित दर प्रस्तुत की गई। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,	CE-II

		जोधपुर द्वारा इस कार्य को 21.12% above की संशोधित दर पर स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की गई थी। निविदा संचालक मण्डल के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत की गई। संचालक मण्डल की बैठक में विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त, इस कार्य की निविदा RHB. BSR.' 2013 पर 21.12% above की संशोधित दर पर, न्यूनतम निविदादाता, मै0 सतीश कुमार एण्ड क0 के पक्ष में स्वीकृत करने सम्बन्धी निर्णय लिया गया।	
220.32	प्रतिनियुक्त कर्मचारी श्री मुकेश एस. माथुर एवं श्री प्रेम सुख शर्मा को सामान्य आवेदक मानते हुये कब्जा पत्र जारी किये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	DHC-I
220.33	परियोजना अभियन्ता–वरिष्ठ के मासिक वाहन भत्ते मे बढ़ोतरी किये जाने बाबत्।	चर्चा उपरान्त परि0 अभि0 (व.) को देय वाहन भते की दरों को निम्नानुसार संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। जयपुर, जोधपुर एवं बोर्ड (मुख्यालय) –1000/– प्रतिमाह। कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर एवं अलवर – 800/– प्रतिमाह। अन्य स्थान (खण्ड पर) में – 600/– प्रतिमाह।	FA
220.34	प्रतापनगर सांगानेर जयपुर के व्यास अपार्टमेन्ट सेक्टर 11 में मध्यम आय वर्ग--ब (एस+10) 80 फ्लेटस जोन --II के कार्य हेतु मण्डल बैठक की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती के अनुमोदन बाबत्	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।	CE-I
220.35	उप नगर नियोजक एवं सहायक नगर नियोजक/सहायक वास्तुविद के पदों को मण्डल के ड्राईंग संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा भरने के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल भर्ती एवं पदोन्नति विनियम–2010 में संशोधन बाबत्	विचार–विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया तथा उप नगर नियोजक –1 (मुख्यालय), सहायक नगर नियोजक/सहायक वास्तुविद –5 (वृत्त–कार्यालयों) के पदों के सृजन का निर्णय लिया गया।	Secretary

220.36	संस्थानों की भूमि दर के नियमों में संशोधन बाबत्	विचार--विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।	FA
220.37	Ex- post factor approval of tender for the Construction of EWS-90 Nos. Houses at Raila Distt. Bhilwara.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।	CE-II
220.38	Tender for the Construction of MIG-B-72 Nos. (S+9) flats at Dwarkapath Mansarovar, Jaipur	विचार--विमर्श पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक द्वारा प्लान का परीक्षण किया जावे। यदि [illegible] इत्यादि भवन निर्माण प्रवधानों के अनुकूल पाये जाते है तो निविदाएं अनुमोदित कर दी जावे।	CE-I
220.39	राजस्थान आवासन मंडल में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने हेतु अधीक्षण अभियंता तथा तकनीकी सहायक (अधिशाषी अभियंता) के एक--एक पद सृजित किये जाने बाबत् ।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मंडल में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने हेतु अधीक्षण अभियंता तथा तकनीकी सहायक (अधिशाषी अभियंता) के एक--एक पद सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
220.40	परियोजना अभियंता(कनिष्ठ) के पदों का सृजन एवं पदस्थापन करने बाबत् ।	पूर्व में मंडल द्वारा राज्य सरकार को 151 परियोजना अभियंता(कनिष्ठ)के पद सृजित करने का प्रस्ताव भिजवाया था। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त पदों को सृजन के साथ--साथ भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को बचाने की दृष्टि से राज्य सरकार को यह भी निवेदन किया जावे कि वर्तमान में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग में जारी भर्ती में से ही मण्डल को भी योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति हेतु भिजवावें।	Secretary

चर्चा के दौरान निम्न बिन्दुओं पर भी चर्चा की गई तथा निम्नानुसार निर्णय लिये गये--

1. श्री एम.एल.दुबे को आवंटित आवास का किराया संबंधी प्रकरण का निस्तारण निदेशक (विधि) से राय प्राप्त कर संबंधित उप आवासन आयुक्त द्वारा किया जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

आज्ञा से,

11/9/13

(जी.एस.बाघेला)
सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 221वीं बैठक दिनांक 25.02.2014 को 4.30 बजे अपरान्ह में माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1	श्री डी.बी.गुप्ता	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2	श्री डी.बी.गुप्ता	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
3	श्री आनन्द कुमार	आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	सदस्य
4.	श्री प्रवीण जैन	मुख्य नगर नियोजक, राज.सरकार	सदस्य
4	श्री दिनेश कुमार पंवार	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल-सचिव

शासन सचिव वित्त (बजट), श्री सिद्धार्थ महाजन द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित रहे :-

1.	श्री घनश्याम बाघेला	मुख्य अभियन्ता-प्रथम, राज॰आवा॰मण्डल
2	श्री आर.के.भट्ट	मुख्य अभियन्ता-मुख्यालय, राज॰आवा॰मण्डल
3.	श्री ललित कुमार	मुख्य संपदा प्रबन्धक, राज.आवासन मंडल
4	श्री डी.सी.चौधरी	वित्तीयसलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी,राज॰आवा॰मण्डल
5	श्री जयबीर जाखड़	अति.मुख्य नगर नियोजक, राज.आवासन मंडल
6.	श्री कर्ण सिंह गोठवाल	संपदा प्रबन्धक, मुख्यालय, राज.आवासन मंडल
7.	श्री अनिल कुमार कौशिक	संपदा प्रबन्धक (भूमि), राज.आवासन मंडल
8.	श्री एम.के.गुप्ता	उप वित्तीय सलाहकार, राज.आवासन मंडल
9.	श्री रामफूल गुर्जर	सहायक निदेशक (जन सम्पर्क), राज.आवासन मंडल

-:: कार्यवाही विवरण ::-

विचार बिन्दु संख्या	विषय	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
221.1	दिनांक 06.09.2013 को सम्पन्न हुई मण्डल की 220वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	220वीं बैठक दिनांक 06.09.2013 के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
221.2	दिनांक 06.09.2013 को सम्पन्न हुई मण्डल की 220वी. बैठक के निर्णयो की क्रियांविति प्रतिवेदन का अवलोकन।	220वीं बैठक की क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary
221.3	मण्डल के विभिन्न समितियों के निर्णयों का अवलोकन ।		
	221.3.1 सम्पति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 30.08.2013, दिनांक 13.09.2013 एवं दिनांक 23.09.2013 तथा 24.09.2013 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन।	विगत सरकार के छः माह के कार्यकाल में सार्वजनिक चेरीटेबल ट्रस्टों को आवंटित की गई भूमि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित केबीनेट उप समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है। अतः राज्य सरकार के निर्णय के पश्चात् मंडल की आगामी बैठक में पेश करे।	CEM

	221.3.2 भूमि समझोता समिति की बैठक दिनांक 04.09.2013 एवं 25.09.2013 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन। 221.3.3 परियोजना समिति की बैठक दिनांक 27.08.2013 एवं 23.09.2013 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन। 221.3.4 कार्यसमिति की बैठक दिनांक 25.09. 2013, 07.1.2014 एवं 6.2.2014में लिये गये निर्णय का अवलोकन।	भूमि समझोता समिति की बैठक दिनांक 04.09.2013 एवं 25.09.2013 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि रेफरेन्स से संबंधित प्रकरणों को लंबित रखा जावे क्योंकि वर्तमान में रेफरेन्स से संबंधित एक प्रकरण में आई.पी.सी. की धारा 156(3) में ज्योति नगर थाने में अनुसंधान हेतु प्रेषित किया गया है तथा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस संबंध में मानसरोवर थाना में भी जेरकार है। परियोजना समिति की बैठक दिनांक 27.08.2013 एवं 23.09.2013 में लिये गये निर्णयों का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया । कार्यसमिति की बैठक दिनांक 25.09.2013, 07.1.2014 एवं 6.2.2014 में लिये गये निर्णय का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में एकल निविदा प्राप्त होने पर निविदा को स्वीकार नहीं किया जावे।	Secretary ACTP TA-CE (HQ)
221.4	सामान्य भविष्य निधि की जमा राशियों पर ब्याज दर बढाने के विषय में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
221.5	इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर सेक्टर 7 व 13 में नाले की निर्माण की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-I
221.6	इन्दिरा गांधी नगर विस्तार योजना के जोन–ए में सड़क निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
221.7	प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के सेक्टर 28 में निर्माणाधीन अल्प आय वर्ग (जी+3) 208 फ्लेटस के कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-I
221.8	पानेरियों की मादडी (न्यू लैण्ड) उदयपुर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 288 आवासों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन बाबत्	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-II

221.9	तत्कालीन माननीय अध्यक्ष के निवास आर–2, रघुविहार, लालकोठी जयपुर के वित्तीय वर्ष 2013–14 में विघुत उपभोग राशी का पुनर्भरण किये जाने बाबत।	विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	Secretary
221.10	मकान सख्या 11/985 चोपासनी योजना जोधपुर को प्लिन्थ स्तर पर आंवटित आवास के संबंध में।	प्रस्तावानुसार प्लिन्थ स्तर के आवास को 2 प्रतिशत वार्षिक प्रशासनिक शुल्क वसूल करते हुये निर्माण अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।	CEM
221.11	Ex post facto approval of tender for the Construction of MIG-B-42 Nos. SFS Houses at RHB Old Scheme, Hanumangarh.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.12	Ex post fact approval of tender for the Construction of LIG-32 Nos. (G+3) Multistorey Flats (Zone-B-3) KBS, Ph, II Pali Road Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.13	Ex post facto approval of tender for the Construction of LIG-28 Nos. (6.00x15.00 Mtr) Houses at Sagwara Disstt. Dungarpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.14	Ex post facto approval of tender for the Construction of MIG-A-80 Nos. (G+3) Flats at Sector 10, I.G. Nagar Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.15	Ex post facto approval of tender for the Construction of HIG-36 Nos. (B+S+9) Flats at Udhyan Apartment at Chopasani Scheme Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.16	Ex post facto approval of tender for the Construction of MIG-A-42 Nos. Houses (8x15mtr.) Govind Nagar Rajsamand.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.17	Ex post facto approval of tender for the Construction of MIG-B-36 Nos. (S+9) Flats at Zone-D sec. 8, I.G. Nagar Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.18	Ex post facto approval of tender for the Construction of WBM Road at Suwana Scheme, Bhilwara.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.19	Ex post facto rejection of tender for the Construction of EWS-114 Nos. Houses at Zone-A, Ph-IV Khoda Ganesh Road, Kishangarh.	प्रस्तावानुसार निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	CE (HQ)

221.20	Ex post facto approval of tender for the Construction of MIG-B-72 Nos. (S+9) Flats at Zone-A sec. 8, I.G. Nagar Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.21	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के अधीन कराधान प्रकोष्ठ (Taxation Cell) के गठन बाबत।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह भी निर्णय लिया गया कि कराधान प्रकोष्ठ को प्रभावी बनाया जावे एवं प्रकोष्ठ में लगने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षित भी किया जावे।	FA
221.22	मण्डल कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2012–13 का बोनस/अनुग्रह राशी तथा उपहार राशी के भुगतान की कार्योतर स्वीकृती/अनुमोदन।	मण्डल कार्मिकों को वर्ष 2012–13 में दी गई उपहार, बोनस, अनुग्रह राशि का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
221.23	सेवाकर कानुन (Service Tax Act.) के तहत् 'सनदी लेखाकार' डॉ. संजीव अग्रवाल, मैसर्स अग्रवाल संजीव एण्ड कं. की नियुक्ति की कार्योतर पुष्टि/अनुमोदन।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिये ही सनदी लेखाकार' डॉ. संजीव अग्रवाल, मैसर्स अग्रवाल संजीव एण्ड कं. की नियुक्ति की जावे एवं भविष्य में पारदर्शिता पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुये नियुक्ति की जावे।	FA
221.24	बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2012–13 के वार्षिक लेखे (अंतिम लेखे) निदेशक मण्डल से अनुमोदनार्थ।	प्रस्तुत अंतिम लेखों का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
221.25	Ex post facto approval of tender for the Construction of MIG-B-72 Nos. (S+9) Flats at Zone-B sec. 8, I.G. Nagar Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.26	Ex post facto approval of tender for the Construction of HIG-36 Nos. (B+S+9) Flats at Udhyan Apartment at Chopasani Scheme, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.27	Ex post facto approval of tender for the Construction of LIG-32 Nos. (G+3) Multistorey Flats (Zone-B-3) at KBS, Ph-II, Pali Road, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.28	Ex post facto approval of tender for the Construction of MIG-B-36 Nos. (B+S+9) Flats Ph-II, SFS Scheme, Marwar Apartment for RHB at CRS, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)

221.29	Ex post facto approval of tender for the Construction of MIG-A-48 Nos. (G+3) Flats at Sector-10, I.G. Nagar Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.30	Ex post facto approval of tender for the Construction of MIG-A-48 Nos. (G+3) Flats Zone-C at Udhyan Apartment Housing Scheme, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.31	Ex post facto approval of tender for the Construction of MIG-A-30 Nos. (SFS) Actual 28 Houses at G.T. Beawar.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.32	Ex post facto approval of tender for the Construction of MIG-A-32 Nos. (G+3) Flats ph. I, Zone-D, at Vivek Vihar Scheme, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.33	Ex post facto rejection of tender for the Construction of EWS-121 Nos. Houses at Zone-E, ph. IV, Khoda Ganesh Road Kishangarh.	प्रस्तावानुसार निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	CE (HQ)
221.34	Ex post facto rejection of technical bid for the Construction of LIG-80 Nos. Houses at Zone-II, at New RHB Scheme, Near DTO Office, Hanumangarh.	प्रस्तावानुसार निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	CE (HQ)
221.35	Ex post facto approval of tender for the Construction of MIG-A-32 Nos. (G+3) Multistorey Flats Zone-III, KBS ph. II, at Pali Road, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.36	Ex post facto approval of tender for the Construction of MIG-A-I 5Nos, MIG-A-II 19 Nos, and HIG-16 Nos, at Churu.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.37	Ex post facto approval of tender for the Construction of LIG-124 Nos. Houses Zone-IV at Suwana Scheme, Bhilwara.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.38	Ex post facto approval of tender for the Construction of LIG-80 Nos. Houses Zone-II at New RHB Scheme, Near DTO Office, Hanumangarh.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)

221.39	Ex post facto approval of tender for the Construction of MIG-A- (S+9) at sector-17, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.40	Ex post facto approval of tender for the Construction of LIG-64 Nos (G+3) Zone-A-II at KBS, Ph.-II Pali Road, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.41	Ex post facto approval of tender for the Construction of MIG-B-18 Nos (Duplex) Houses Under SFS at South Ext. Scheme, Udaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.42	Ex post facto approval of tender for the Construction of EWS-159 Nos (Zone-I) Houses at Suwana Scheme, Bhilwara.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.43	Ex post facto rejection of tender for the Construction of EWS-117 Nos Houses at Zone-B, Ph-II Khoda Ganesh Road, Kishangarh.	प्रस्तावानुसार निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	CE (HQ)
221.44	Ex post facto approval of tender for the Construction of HIG-18 Nos Duplex Houses Zone-A, at Sector 11 M.P. Nagar, Bikaner.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.45	Ex post facto approval of tender for the Construction of HIG-56 Nos Complete Houses (for remaining work of M/S Candid Buildcom) at Old RHB Colony, Hanumangarh.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.46	Ex post facto approval of tender for the Construction of MIG-A-43 Nos, Zone-A at Manpura Scheme , Abu Road.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.47	Ex post facto approval of tender for the Construction of MIG-B-36 Nos, (S+9) Flats at Zone-C, Sector -8, I.G. Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.48	राजस्थान आवासन मण्डल में कार्य प्रणाली एवं समस्त रिकॉर्ड को कम्प्युटरीकृत करने हेतु आवश्यक स्टाफ के संबंध में।	कम्प्यूटरीकरण का कार्य महत्वपूर्ण है जिसे प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाना है लेकिन कार्य की आवश्यकता के अनुरूप पदों की संख्या का निर्धारण करते हुये प्रस्ताव का परीक्षण करने का निर्णय लिया गया । आयुक्त आवासन मंडल अपने स्तर पर परीक्षण कर समीक्षा करते	Joint Director

		हुये प्रकरण बोर्ड की आगामी बैठक में पेश करेंगे।	
221.49	दिनांक 06.08.2013 के पश्चात जारी किये गये सजावटी विज्ञापनों के संबंध में प्रस्ताव संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया एवं भविष्य के लिये अनावश्क व्यय को रोकने हेतु सजावटी विज्ञापनों के संबंध में प्रभावी नीति बनाये जाने का निर्णय लिया गया।	Asstt. Director (PRO)
221.50	मण्डल में वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद को मुख्य लेखाधिकारी (उप वित्तीय सलाहकार) के पद पर क्रमोन्नत किये जाने बाबत्।	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार को प्रेषित पत्र क्रमांक प1(1)कार्मिक /प्रतिनि. /व.ले.अ./2014/2783, दिनांक 23.1.14 का प्रतिउत्तर प्राप्त होने तक प्रकरण को लंबित रखे जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
221.51	मृतक कार्मिक चौथराम वर्मा के पुत्र श्री कन्हैया लाल वर्मा को अधिकतम आयु में शिथिलता देते हुये अनुकम्पात्मक नियुक्ति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार श्री चौथमल वर्मा को अधिकतम आयु में शिथिलता प्रदान करते हुये कार्यालय आदेश क्रमांक प1(1)कार्मिक/अनुकम्पा.नियुक्ति/2012/2760, दिनांक 10.12.2012 द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर दी गई नियुक्ति की पुष्टि की गई।	Secretary
221.52	राजस्थान आवसन मण्डल की मानसरोवर योजना के वाद संख्या 1/82/03 खसरा नंबर 2 रकबा 8 बीघा ग्राम सुखालपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर की अवाप्ति के बदले मुआवजे के रूप में 25 प्रतिशत विकसित भूमि के पट्टे जारी किये जाने के क्रम में उप शासन सचिव, नविवि के पत्र दिनांक 10.05.2011 के अनुसार तुलसी देवी द्वारा जिला सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत वाद में उल्लेखित 1/9 हिस्से का मुआवजा न्यायालय के निर्णयाधीन रहेगा, के संबंध में।	कर्नल धमेन्द्र सिंह द्वारा की गई आपत्तियो के संबंध में वस्तुपरक सम्पूर्ण रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवाई जानी है, अतः प्रकरण **Defer** किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
221.53	Ex-Post facto approval of tender for the const of LIG 78 nos. houses zone-C Ph-IV at Khoda Ganesh Road, Kishangarh	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.54	Ex-Post facto approval of tender for the const of LIG 84 nos. houses zone-B Ph-IV at Khoda Ganesh Road, Kishangarh.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.55	Ex post facto approval of tender for the Construction of MIG-B-36 Nos (B+S+9) Flats Ph-I SFS Scheme, Marwar Apartment for RHB at CRS, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)

221.56	Ex-Post facto approval for rejection of tender for the const of EWS 112 (G+3) flats, Aravli Vihar. Ph-III. Zone-IV, Bjiwadi.	प्रस्तावानुसार निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	CE (HQ)
221.57	Ex-Post facto approval of Bid for const of EWS 80 (G+3) Multy Storeyed flats, Zone-A-1(B) at KBS, Ph-II. Jodhpur	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
221.58	संस्थानिक आवंटन में लीज राशी लिये जाने के क्रम में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
221.59	प्रताप नगर सांगानेर सेक्टर–22 जोन–II में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित उच्च आय वर्ग (डूप्लेक्स) के 19 एवं मध्य आय वर्ग–ब (डूप्लेक्स) के 71 आवासों के निमार्ण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	ACE-I
221.60	प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर के सेक्टर–18 में मध्यम आय वर्ग – अ (एस+11) के 88 फेज II जोन III के कार्य हेतु मण्डल की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.61	Ex-Post facto approval for the const of 80 Nos MIG-B (S+10) Zone-1 Sector 11, Pratap nagar, Sanaganer, Jaipur..	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.62	Ex-Post facto approval of tender for the const of 80 Nos MIG-B (S+10) Zone-II Sector 11, Vyas Apartment, Pratap nagar, Sanaganer, Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.63	Ex-Post facto approval of Bid for the const of MIG-A-46 Nos Houses (Zone-B) at Manpura, Abu Road	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.64	Ex-Post facto approval of Bid for the const of Nos LIG -48 Nos (G+2) Flats, Zone-I at New RHB Scheme, Near DTO Office, Hanumangarh.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.65	Ex-Post facto approval of tender for the const of 121 Nos EWS houses, Zone -D KishanGarh Ext, Ph-IV at Khoda Ganesh Road, Kishangarh.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)

221.66	Ex-Post facto approval of bid for the const of LIG-66 Nos houses at Akara Bhatta, Abu Road.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.67	Ex-Post facto approval for Rejection of tender for Reformation and Restrengthing at Bhirgu Path, Mansarovar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	CE-(HQ)
221.68	Ex-Post facto approval of tender for the constrution of MIG-B Flats 88 Nos. (S+11) at Sec-8, Pratap Nagar Sanganer, Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.69	लागत सिद्वान्त 2010 के नियम 12.1 के अनुसार लागत निर्धारण किये जाने बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
221.70	आवासीय अभियन्ता योजना सेक्टर–8, न्यु सांगानेर रोड, मानसरोवर जयपुर में उच्च आय वर्ग के 52 फ्लेटस (बी+एस+13) ब्लॉक ए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती (स्ववित्त पोषित योजना) जारी करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.71	प्रताप नगर सांगानेर जयपुर के सरस्वती अपार्टमेन्ट सेक्टर–18 फेज– II में मध्यम आय वर्ग–ब (एस+6) 120 फ्लेटस के कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.72	प्रताप नगर सांगानेर जयपुर के सरस्वती अपार्टमेन्ट सेक्टर–18 फेज– I में मध्यम आय वर्ग–ब (एस+6) 120 फ्लेटस के कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.73	प्रताप नगर सांगानेर सेक्टर–22 जोन–I में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित्त मध्यम आय वर्ग–अ (डुप्लेक्स) के 60 आवासों के निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.74	प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर के सेक्टर–18 में मध्यम आय वर्ग–अ (एस+11) के 88 फेज II जोन II के कार्य हेतु मण्डल बैठक की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)

221.75	प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर के सेक्टर–18 में मध्यम आय वर्ग–अ (एस+11) के 88 प्लेटस फेज II जोन IV के कार्य हेतु मण्डल बैठक की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.76	Ex post facto approval of tender for the Construction of MIG-A-24 Nos Duplex Houses (SFS) at Shivaji Nagar Ext. Dungarpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.77	Ex post facto approval of tender for the Construction of LIG-40 Nos Houses at Raila Distt. Bhilwara.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.78	Ex post facto approval of tender for the Construction of LIG-55 Nos Zone-B, at Manpura Abu Road.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.79	प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर के सेक्टर–18 में मध्यम आय वर्ग–अ (एस+11) के 88 प्लेटस फेज II जोन I के कार्य हेतु मण्डल बैठक की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.80	प्रताप नगर सांगानेर जयपुर के गोदावरी आपार्टमेन्ट सेक्टर–29 फेज – II में अल्प आय वर्ग (जी+3) 160 फ्लेटस के कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.81	Ex-Post facto approval of tender for the constrution of HIG (8x16m) 23Nos. houses sector-07, I.G. Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.82	Ex-Post facto approval of tender for the constrution of EWS 86 Nos houses, Zone-D, Kishangarh, Ext. Ph IV at Khoda Ganesh Road, Kishangarh.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.83	आवासीय अभियन्ता योजना सेक्टर–8 न्यु, सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर में उच्च आय वर्ग के 52 फ्लेटस (बी+एस+13) ब्लॉक बी की (स्ववित्त पोषित योजना) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)

221.84	Ex-Post facto approval of Bid for the constrution of EWS 80 Nos (G+3) Multistoreyed Flats Zone-A-2(B) at KBS, Ph II, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.85	Ex-Post facto approval of Bid for the constrution of MIG-A-36 Nos (G+2) Flats at Zone-B, Office Campus, Jaisalmer.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.86	Ex-Post facto approval of Bid for the constrution of EWS-96 Nos (G+2) Flats Zone-I,at New RHB, Colony, Near DTO Office, Hanumangarh.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.87	Ex-Post facto approval of Bid for the constrution of EWS-56 Nos (G+3) Flats at Zone-D-I, Vivek Vihar, Scheme Near Sector-9, Indira Nagar, KBS, Jodhpur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.88	Ex-Post facto approval of Bid for the constrution of MIG-B-32 Nos (G+3) Flats under SFS at Savina Khera-II, Udaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-(HQ)
221.89	मण्डल द्वारा निर्मित दुकानों की लागत के संबंध पूर्व विचार बिन्दु संख्या 216.37 पर पारित निर्णय पर पुनर्विचार बाबत्।	दिनांक 26.2.14 को होने वाली बैठक में प्रकरण में मुख्य अभियंता एवं वित्तीय सलाहकार चर्चा करते हुये वस्तुपरक रिपोर्ट के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखेंगे।	FA
221.90	नवनिर्मित आवासों पर निर्माण पश्चात ब्याज लेने के संबंध में पूर्व विचार बिन्दु संख्या 216.36 पर पारित निर्णय पर पुनर्विचार बाबत्।	दिनांक 26.2.14 को होने वाली बैठक में प्रकरण में मुख्य अभियंता एवं वित्तीय सलाहकार चर्चा करते हुये वस्तुपरक रिपोर्ट के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखेंगे।	FA
221.91	निर्माण अवधि के संबंध में पूर्व विचार बिन्दु संख्या 216.38 पर पारित निर्णय पर पुनर्विचार बाबत्।	दिनांक 26.2.14 को होने वाली बैठक में प्रकरण में मुख्य अभियंता एवं वित्तीय सलाहकार चर्चा करते हुये वस्तुपरक रिपोर्ट के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखेंगे।	FA
221.92	आरक्षित दर के संबंध में पुर्व विचार बिन्दु संख्या 216.40 पर पारित निर्णय पर पुनर्विचार बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
221.93	राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी पेंशन विनियम 1992 के नियम संख्या 41(1) के संशोधन के संबंध में।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
221.94	मण्डल की सम्मस्त योजनाओं की वर्ष 2013–14 हेतु निर्धारित भूमि एवं विकास दरों/आरक्षित दरों के अनुमोदन के संबंध में।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई ।	FA
221.95	उपरिव्यय मद पर पुनर्विचार करने के संबंध में।	उपरिव्यय मद में बढ़ोतरी नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।	FA

221.96	प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर के सेक्टर – 29 में मध्यम आय वर्ग 'अ' (जी+3) 160 फ्लेटस के कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE I
221.97	राज्य के बाहर/भीतर चिकित्सा परिचर्या और उपचार के अग्रिम राशी स्वीकृती बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
221.98	अरावली विहार योजना, फेज तृतीय, भिवाडी में बाह्मय विधुतिकरण के कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE HQ
221.99	संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2013–14 एवं बजट अनुमान वर्ष 2014–15 संचालक मंडल से समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2013–14 एवं बजट अनुमान वर्ष 2014–15 का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।	FA&CAO
221.100	जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि0 जयपुर को प्रताप नगर योजना सागानेर के सेक्टर–10 में आगार, कार्यशाला एवं आगार टर्मिनल पर पार्किग हेतु 3700.00 वर्ग मीटर भूमि आंवटन बाबत्।	प्रस्तावानुसार जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि0 जयपुर को प्रताप नगर योजना सागानेर के सेक्टर–10 में आगार, कार्यशाला एवं आगार टर्मिनल पर पार्किंग हेतु 3700.00 वर्ग मीटर भूमि आंवटन करने का निर्णय लिया गया । साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि अमानीशाह नाले के प्रवाह से दूर निर्माण करने की शर्त रखी जावे।	ACTP
221.101	नगर निगम जयपुर को सेक्टर–5 विस्तार (बम्बाला पुलिया के निकट) प्रताप नगर योजना में भूमि आंवटन बाबत्।	प्रस्तावानुसार नगर निगम जयपुर को सेक्टर–5 विस्तार (बम्बाला पुलिया के निकट) प्रताप नगर योजना में भूमि आंवटन का निर्णय लिया गया साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि अमानीशाह नाले के प्रवाह से दूर निर्माण करने की शर्त रखी जावे।	CEM
221.102	मण्डल के अधीनस्थ एवं मत्रालिक वर्ग के कार्मिको को स्टेशनरी भत्ता 250/– रूपये प्रति माह भुगतान किये जाने बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	FA&CAO
221.103	मण्डल में कार्यरत हैल्पर, जमादार, वाहन चालक, स्वीपर, मशीन मैन, फेरोप्रिंटर एवं फैरो मैन को धुलाई भत्ता 100/– रूपये के स्थान पर 150/– रूपये प्रति माह दिनांक 01.10.2013 से स्वीकृत किये जाने बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	FA&CAO
221.104	संस्थागत आवंटन की मार्गदर्शिका पुस्तिका का अवलोकन एवं पुष्टि बाबत्।	प्रस्तावानुसार पुष्टि की गई।	CEM

221.105	पानेरियों की मादडी, उदयपुर में उच्च आयवर्ग (डुप्लेक्स) के 35 एस.एफ.एस आवासों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE HQ
221.106	मानसरोवर योजना में स्थित मकान संख्या 20/26, अतिथि गृह (गेस्ट हाउस), काबेरी पथ, जयपुर को मण्डल के आवासन आयुक्त श्री आनन्द कुमार को रेन्टल योजना अन्तर्गत निवास हेतु आवंटित करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	Secretary
221.107	मण्डल द्वारा अवाप्त शुदा भूमि के विरुद्ध देय मुआवजा स्वरुप 15 प्रतिशत/25 प्रतिशत (20 प्रतिशत आवासीय व 5 प्रतिशत व्यवसायिक) विकसित भूखण्डों पर लीज राशि लिये जाने के क्रम मे।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	Secretary
221.108	नीलामी प्रक्रिया में संशोधन के प्रकरण में।	जमीन नीलामी आदेशों को प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
221.109	Ex post facto approval of bid for the Construction of EWS-128 Nos (G+3) Multi Storeyed flats at Sector-09, KBS, Jodhpur. -(Remaining work of M/S IP Singh).	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE HQ
221.110	सेक्टर–8 जोन 84, मानसरोवर में नीलामी द्वारा आवंटित वाणिज्यिक भू–खण्डों के संबंध में।	प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात् राज्य सरकार को पुनर्विचार करने हेतु निवेदन किये जाने का निर्णय लिया गया।	CE HQ/ CEM
221.111	ड्राईग प्रकोष्ठ (मुख्यालय) में कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों को मय पोस्ट पुनः पूर्व पदस्थापित स्थान पर पदस्थापित करने बाबत।	प्रस्तावानुवार स्वीकृति प्रदान की गई।	Secretary
221.112	विगत वर्षो में आवासन मंडल द्वारा जारी राजस्व आय में वृद्धि के आदेशों की पुष्टि।	प्रस्तावानुसार पुष्टि की गई।	CEM
221.113	A&Ffor Architectural Consultancy Services for Construction of 360 Nos. MIG-B multistoreyed flats (B+S+9 Floor) at Sector-08, Indira Gandhi Nagar, Jaipur.	दिनांक 26.2.14 को आयोजित होने वाली बैठक में चर्चा की जावे।	ACTP

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

4/3/14
(दिनेश कुमार पंवार)
सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 222वीं बैठक दिनांक 17.06.2014 को 4.00 बजे अपरान्ह में माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1	श्री अशोक जैन	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2	श्री अशोक जैन	अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
3.	श्री सिद्धार्थ महाजन	शासन सचिव वित्त (बजट),	सदस्य
4.	श्री आनन्द कुमार	आयुक्त, राज.आवासन मण्डल	सदस्य
5.	श्री प्रवीण जैन	मुख्य नगर नियोजक, राज.सरकार	सदस्य
6.	श्री दिनेश कुमार पंवार	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल–सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित रहे :–

1	श्री आर.के.भट्ट	मुख्य अभियन्ता–मुख्यालय, राज॰आवासन मण्डल
2.	श्री घनश्याम बाघेला	मुख्य अभियन्ता–प्रथम, राज॰आवासन मण्डल
3.	श्री के.सी.मीणा	मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, राज॰आवासन मण्डल
4.	श्रीमती श्रुति भारद्वाज	मुख्य संपदा प्रबन्धक, राज.आवासन मंडल
5.	श्री डी.सी.चौधरी	वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी,राज॰आवासन मण्डल
6.	श्री एस.पी.पुरोहित	निदेशक (विधि), राज.आवासन मंडल
7.	श्री दिलीप सिंह बारहठ	अति.मुख्य नगर नियोजक, राज.आवासन मंडल
8.	श्री नत्थूराम	अति.मुख्य अभियंता, प्रथम, राज.आवासन मंडल
9.	श्री कर्ण सिंह गोठवाल	संपदा प्रबन्धक, मुख्यालय, राज.आवासन मंडल
10.	श्री अनिल कुमार कौशिक	संपदा प्रबन्धक (भूमि), राज.आवासन मंडल
11.	श्री एम.के.गुप्ता	उप वित्तीय सलाहकार, राज.आवासन मंडल
12.	श्री एम.के.शर्मा	तक.सहा.–आवासन आयुक्त, राज.आवासन मंडल

–:: कार्यवाही विवरण ::–

विचार बिन्दु संख्या	विषय	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
222.1	दिनांक 25.02.2014 को सम्पन्न हुई मंडल की 221वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	221वीं बैठक दिनांक 25.02.2014 के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
222.2	दिनांक 25.02.2014 को सम्पन्न हुई मंडल की 221वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन।	221वीं बैठक की क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। विचारणीय बिन्दु संख्या 221.100 जे.सी.टी.एल.को 3700.00 वर्गमीटर भूमि आवंटन के संबंध में पालना अपेक्षित है।	Secretary
222.3	मण्डल की महला आवासीय योजना, अजमेर रोड जयपुर की वर्ष 2013–14 हेतु निर्धारित भूमि एवं विकास दर के अनुमोदन के संबंध में।	विचार–विमर्श कर महला आवासीय योजना, अजमेर रोड़, जयपुर की वर्ष 2013–14 हेतु प्रस्तावानुसार निर्धारित भूमि एवं विकास दर राशि रुपये 1680/– प्रति वर्ग मीटर (MIG-A) का अनुमोदन किया गया।	FA

222.4	आवासन मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अनाधिकृत अस्पतालों में कराये गये ईलाज के चिकित्सा राशि का पुनर्भरण के संबंध में।	विचार–विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि अनाधिकृत अस्पतालों में कराये गये ईलाज की चिकित्सा राशि का पुनर्भरण संबंधित प्रावधान आदेश दिनांक 17.6.14 से प्रभावी होगे।	FA
222.5	प्रताप नगर सांगानेर जयपुर के प्रताप अपार्टमेंन्ट सेक्टर–29 ब्लॉक–बी में उच्च आय वर्ग प्रथम के 40 और उच्च आय वर्ग द्वितीय के 10, (एस+10) फलेटस के कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत्।	मुख्य अभियंता (प्रथम) द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त दर उचित है। यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में इस प्रकार के प्रस्तावों में औचित्य दर्शाते हुये विस्तृत विवरण अंकित किया जावे। विचार–विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया	CE-I
222.6	प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर के अपार्टमेन्ट सेक्टर–29 ब्लॉक–डी में उच्च आय वर्ग प्रथम के 40 और उच्च आय वर्ग द्वितीय के 10 (एस+10) फलेटस के कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत्।	मुख्य अभियंता (प्रथम) द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त दर उचित है। यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में इस प्रकार के प्रस्तावों में औचित्य दर्शाते हुये विस्तृत विवरण अंकित किया जावे। विचार–विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया	CE-I
222.7	आवासीय योजना, राजस्थान आवासन मण्डल कॉलोनी, डी.टी.ओ. कार्यालय के समीप हनुमानगढ में बाहय विद्युतीकरण एवं स्ट्रीट लाईट के कार्य हेतु प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्देश दिये गये कि इस प्रकार के प्रस्तावों में विस्तृत विवरण अंकित किया जावे।	CE-I
222.8	नीलामी योग्य सम्पतियों के निस्तारण के लिए राजस्व शाखा के गठन बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया तथा सभी उप आवासन आयुक्तों से नीलामी योग्य सम्पत्ति (रिक्त भूखण्ड/मकान/फ्लेट्स, इत्यादि)का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाकर, सम्पत्ति पंजिका संधारित कर आगामी मंडल बैठक नें प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।	FA
222.9	गोवर्धन विलास, आवासीय योजना, उदयपुर के मध्यम आय वर्ग–अ (जी+3) 64 आवासों के आवंटियों को जमा आरक्षण राशि पर ब्याज दिये जाने बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह भी निर्देश दिये गये कि देरी के संबंध में संबंधित दोषी अधिकारियों /कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।	FA
222.10	श्री भारत भूषण जैन, निजी सहायक को राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित कार्यो के निस्पादन हेतु समन्वयक/ मण्डल प्रतिनिधि नियुक्त करने बाबत्।	प्रकरण दैनिक प्रशासनिक कार्य से संबंधित होने से पृथक से निर्णय लिया जावे।	Secretary

222.11	राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर योजना के वाद संख्या 1/85/03, खसरा नं. 02, रकबा 08 बीघा, ग्राम सुखालपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के अवाप्ति के बदले मुआवजे के रूप में 25 प्रतिशत विकसित भूमि के पटटें जारी किये जाने के संबंध मे।	नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प7 (77)नविवि/ 81, दिनांक 10.5.2011 में वर्णित अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान की गईः– 1. तुलसी देवो द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत वाद में उल्लेखित 1/9 हिस्से के मुआवजा न्यायालय के निर्णयाधीन रहेगा। इस संबंध में प्रार्थी आवंटियों से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर आवंटी भूमि का कब्जा सुपुर्द कर टाईटल डीड जारी की जावे तथा मास्टर प्लान के भू–उपयोग परिवर्तन संबंधी कार्यवाही के निर्णयाधीन आवंटित करने हेतु मण्डल को निर्देश प्रदान किये गये। 2. आवासन मण्डल के प्रस्तावानुसार सेक्टर–5 में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या 5–ए–1, क्षेत्रफल 4040.00 व.मी. के आवंटन की स्वीकृति मास्टर प्लान में भू–उपयोग परिवर्तन के निर्णयानुसार प्रदान की गई है। 3. आवासन मण्डल के प्रस्तावानुसार मानसरोवर योजना के शिप्रा पथ के सेक्टर–7 में अरावली मार्ग पर स्थित ग्रुप–हाउसिंग हेतु आरक्षित 3515 व.मी. भूमि में से 1011.60 व.मी. भूमि का भू–उपयोग पुनः वाणिज्यिक में परिवर्तित करते हुए उक्त भूमि पूर्व में प्रस्तावित भूखण्ड संख्या 1–सी–1 के स्थान पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जारी प्रासंगिक पत्र दिनांक 10.05.11 के अनुसरण में पत्रावली में भू–उपयोग संबंधी आवश्यक कार्यवाही की पूर्ति की जा चुकी है। सेशन न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.11 में पारित आदेश "परिणामत प्रतिवादी संख्या 15 व 16 का आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 15 व 16 के विरूद्ध वाद नामंजूर कर वाद में वर्णित खसरा नं. 2 की 8 बीघा भूमि के संबंध में भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत अवार्ड पारित	Secretary

		हो चुका, वादी का वाद आंशिक रूप से इस संप्रेषण के अधीन नामंजूर किया जाता है कि वादी इस भूमि के संबंध में अवार्ड में अपने हिस्से बाबत क्लेम संविधान के अनुच्छेद 228 के तहत माननीय उच्च न्यायालय को प्रस्तुत करने को स्वतन्त्र है। उक्त आदेश के अनुसरण में माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 15182/2011 श्रीमती तुलसी देवी के विधिक प्रतिनिधिगण (एल.आर.) द्वारा पेश की गई। उपरोक्त याचिका भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.4.2014 को निर्णित की जा चुकी है जिसमें वर्णित किया है कि ""**A Perusal of the para quoted above reveals that allotment of land would be made in favour of those in whose name exists in 'jamabandi' and in case of death of one of khatedar, the land would be allotted to those successor whose name has entered in the 'jamabandi' and there is no dispute.** **In view of the above, the respondent-Housing Board was free to make agreed award but aforesaid would be subject to final outcome of the litigation, which exists between the parties. The agreed award would not effect the rights of the petitioners in pending litigation, rather if they remain successful then would be entitled for the share in the land.** **with the aforesaid, writ petition is disposed of so also the stay application".** इस संबंध में माननीय राजस्थान विधानसभा में अवमानना याचिका संख्या 90/11 भी विचाराधीन है। जिसमें सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय	

		विकास विभाग को पत्र संख्या एफ.24 (10)याचिका/वि.स./11/3064 दिनांक 05.08.13 को जारी करते हुये बिन्दुवार सूचना चाही गई, जिसमें बिन्दु संख्या 8 में वर्णित किया है कि एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 15182/2011 पर कहीं स्टे नहीं है न ही तारीखे पड रही है। स्टे नहीं है तो इतनी कार्यवाही क्यों की गई। <u>**उचित कार्यवाही कर पट्टे जारी करें।**</u> इस संबंध में तुलसी देवी के विधिक प्रतिनिधिगण श्री उदयसिंह वगैरह द्वारा प्रकरण में बोर्ड बैठक में निर्णय नहीं करने एवं प्रकरण Defer करने के संबंध में दिनांक 05.06.14 को प्रार्थनापत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली करते हुये अवलोकित किया गया। प्रकरण Defer करने का कोई औचित्य /विधिक कारण नहीं होने से मूल खातेदारान के नाम ग्राम सुखालपुरा के खसरा नंबर 2 रकबा 8.00 बीघा भूमि के मुआवजे के रूप में 25 प्रतिशत विकसित भूमि (20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत वाणिज्यिक) के संदर्भ में नगरीग विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति दिनांक 10.5.11, सचिव, राजस्थान विधानसभा के पत्र दिनांक 5.8.13 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.4.2014 (अन्तर्गत रिट पिटीशन नंबर 15182/2011) के अनुसरण में तुलसीदेवी द्वारा सत्र न्यायालय में प्रस्तुत वाद में उल्लेखित 1/9 हिस्से के मुआवजे एवं अविवादित हिस्सा 8/9 की दो पृथक–पृथक लीज डीड खातेदार मानसिंह चेतनसिंह, उमरावसिंह एवं कमल सिंह पुत्र चौथमल के नाम जारी करते हुए 1/9 हिस्से वाले लीज डीड पर इस आशय का नोट अंकित कर दिया जावे कि इस लीज डीड की विधिक मान्यता माननीय सक्षम न्यायालय के अंतिम निर्णय के निर्णयाधीन रहेगी, का निर्णय लिया गया।	
222.12	नवनिर्मित आवासों पर निर्माण पश्चात ब्याज लेने के संबंध में पूर्व विचार बिन्दु संख्या 216.36 पर पारित निर्णय पर पुनर्विचार	विस्तृत विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जिन प्रकरणों में वास्तविक निर्माण अवधि 18/30 माह से कम है उनमें वास्तविक निर्माण	FA

	बाबत्।	अवधि का आधा एवं जिन प्रकरणों में वास्तविक निर्माण अवधि 18/30 माह से अधिक है उनमें वास्तविक निर्माण अवधि का आधा दर पर ब्याज लेने का निर्णय लिया गया तथा आवंटियों को देय/से वसूलनीय ब्याज के संबंध में मुख्य संपदा प्रबन्धक, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य अभियंता(मुख्यालय) की तीन सदस्यीय समिति बनाई जावे जो ब्याज दर के संबंध में परीक्षण कर न्यूनतम व्यवहारिक ब्याज दर के संबंध में जो आवंटियों से वसूलनीय/देय के संबंध में अपनी रिपोर्ट आवासन आयुक्त के मार्फ़त अध्यक्ष महोदय के समक्ष पेश करेगी।	
222.13	मण्डल द्वारा निर्मित दुकानों की लागत के संबंध में पूर्व विचार बिन्दु संख्या 216.37 पर पारित निर्णय पर पुनर्विचार बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रकरण जिनमें भूतल एवं प्रथम तल के लीजधारी अलग–अलग हो तो लीज राशि की वसूली के संबंध में सिद्धान्त (फार्मूला) निर्धारित कर प्रकरण पृथक से निस्तारित कराया जावे ।	FA
222.14	निमार्ण अवधि के संबंध में पूर्व विचार बिन्दु संख्या 216.38 पर पारित निर्णय पर पुनर्विचार बाबत्।	विस्तृत विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जिन प्रकरणों में वास्तविक निर्माण अवधि 18/30 माह से कम है उनमें वास्तविक निर्माण अवधि का आधा एवं जिन प्रकरणों में वास्तविक निर्माण अवधि 18/30 माह से अधिक है उनमें वास्तविक निर्माण अवधि का आधा दर पर ब्याज लेने का निर्णय लिया गया तथा आवंटियों को देय/से वसूलनीय ब्याज के संबंध में मुख्य संपदा प्रबन्धक, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य अभियंता (मुख्यालय) की तीन सदस्यीय समिति बनाई जावे जो ब्याज दर के संबंध में परीक्षण कर न्यूनतम व्यवहारिक ब्याज दर के संबंध में जो आवंटियों से वसूलनीय/देय के संबंध में अपनी रिपोर्ट आवासन आयुक्त के मार्फ़त अध्यक्ष महोदय के समक्ष पेश करेगी।	FA
222.15	Ex. post facto approval of the tender for the const of MIG-B 05 nos & HIG 08 nos houses composite housing scheme at Anta (Distt Baran)	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।	CE HQ
222.16	Ex. post facto approval of Bid for the const of Remetalling & Carpeting work including	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।	CE HQ

	Culvert/ Road cross repair/ const (Major/Sector Road) Sector -17 M.P. Nagar, Bikaner.		
222.17	Revised A&F case for const of MIG B 72 Nos. (Stilt+9) Zone - I at Dwarkapath Mansarovar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।	CE - I
222.18	Ex. post facto approval of the tender for the const of MIG-B 110 nos (S+10) Sec 29 Pratap Nagar Sanganer, Jaipur.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।	CE HQ
222.19	मण्डल में नवीन पंजीकरण योजना में निर्धारित पंजीकरण पुस्तिका का मुल्य पुनः निर्धारण के संबंध में।	विचार–विमर्श कर प्रस्तावानुसार पंजीकरण पुस्तिका का मूल्य 500/–रुपये के स्थान पर 300/–रुपये किया गया।	CEM
222.20	Ex. post facto approval of the tander for const of MIG-A 88 nos (G+3) flats at Baba Mohan Ram Enclave, Bhiwadi.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।	CE HQ
222.21	Ex. post facto approval of Bid for the const of EWS -144 Nos. (G+2) Flats, Zone - II at New RHB Scheme, Near DTO office. Hanumangarh.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया ।	CE HQ
222.22	मण्डल में प्रतीक्षारत आवेदकों को बहुमंजिले प्लेटो में आवास आवंटन हेतु उन्हे विकल्प पत्र मांगे जाने हेतु व्यक्तिशः नोटिस दिये जाने बाबत्।	विचार–विमर्श कर प्रस्तुत संशोधित प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई	CE-I
222.23	मानसरोवर योजना को जोडने वाले दो प्रमुख मार्गो पर अमानीशाह नाले पर बने हुये पुलो के अपग्रेडेशन कार्य हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ सम्भावित लागत की 50 प्रतिशत हिस्सा राशि रुपये 21.83 करोड मण्डल द्वारा वहन किये जाने बाबत्।	प्रस्तावानुसार संभावित लागत का 50 प्रतिशत (1/2 हिस्सा) राशि आवासन मण्डल द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को देना सिद्धान्ततः तय किया गया तथा महारानी फार्म शिप्रापथ को जोड़ने वाली सड़क के एलाईमन्ट को सीधा करते हुए उस पर प्रस्तावित पुल के संबंध में निर्देशित किया गया कि आवासन आयुक्त इस संबंध में जेडीसी से चर्चा कर प्रकरण अध्यक्ष महोदय के समक्ष पेश करेंगे।	CE-I
222.24	नीलामी प्रक्रियां के आदेश संख्या–एफ2(3)लागत/ 1034 / 650 दिनांक 28.01.2014 में 08(1)क एवं 08(2)क में संशोधन हेतु।	विचार–विमर्श कर प्रस्तावानुार स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
222.25	वित्तीय वर्ष 2013–14 (कर निर्धारण वर्ष 2014–15) के बोर्ड के वार्षिक खाते तैयार करने, खातों का कर–अंकेक्षण एवं	विचार–विमर्श कर प्रस्तावानुार स्वीकृति प्रदान की गई।	FA

	धारा 44 एबी एण्ड 12ए (1)(बी) के तहत प्रारूप 10(बी) में रिपोर्ट तैयार कर, बोर्ड की आयकर विवरणिका प्रस्तुत करने के कार्य हेतु बोर्ड के चार्टड अकाउन्टेन्ट की नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकृती बाबत्।		
222.26	आवासन मण्डल की योजनाओं में पंजीकृत आवेदकों के पंजिकरण एक शहर से दूसरे शहर में स्थानान्तरण बाबत्।	प्रकरण Defer किये जाने का निर्णय लिया गया।	CEM
222.27	राजस्थान आवासन मण्डल की योजना, सेक्टर–24 प्रताप नगर सांगानेर की भूमि के वाद संख्या 7/90/20 में अवाप्त भूमि के मुआवजें के 15 प्रतिशत विकसित आवासीय भूखण्डों के नवीन प्रस्ताव के संबंध में। (एनआरआई योजना)	राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ग्राम नगरियावाला के खसरा नं. 250, रकबा 0.12 बिस्वा भूमि अवाप्त की जाकर अवार्ड विशेषाधिकारी द्वारा दिनांक 27.06.05 को खातेदार श्री गोपी पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/2, तेजा, मोती, रामू, गुल्ला पिता ग्यारसा, रामनारायण ना.बा. पुत्र ग्यारसा, छोटी देवी बेवा ग्यारसा, जाति–बलाई के नाम जारी किया गया। इस अवाप्त भूमि का देय मुआवजा–स्वरूप 15 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि हेतु भूमि समझौता समिति की बैठक दिनांक 27.08.05 में सेक्टर–22 के मध्यम आय वर्ग–अ के 3 भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 227.60 व.मी. देने का निर्णय लिया गया, जिसकी राज्य सरकार से स्वीकृति दिनांक 03.10.05 को प्राप्त हुई। राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति दिनांक 03.10.05 के क्रम में खातेदारों से वांछित अनुबंध पंत्र, सहमति पत्र, शपथ पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण देय भूखण्डों के आवंटन पत्र जारी नहीं किये जा सके तथा खातेदारों द्वारा प्रकरण में 15 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत भूमि (विकसित भूखण्ड) की मांग करते हुए माननीय न्यायालय में रिट पिटीशन संख्या 899/2012 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08. 05.14 को आदेश पारित कर मण्डल को निर्देशित किया गया कि मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा अन्य खातेदारों को दिये गये मुआवजे के अनुरूप ही दो माह की अवधि में अपीलार्थी/खातेदारों को 15 प्रतिशत	Secretary

		विकसित भूखण्ड मुआवजा–स्वरूप दिया जावें। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय एवं उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम के द्वारा खातेदारों को मुआवजा–स्वरूप 15 प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिये जाने हेतु खातेदारों की अवाप्त भूमि में से ही सेक्टर–26 में स्थित ग्रुप–हाउसिंग उपयोग हेतु आरक्षित भूमि जो 100 फीट चौडी रोड पर स्थित है, में देय भूखण्ड क्षेत्रफल 227.60 व.मी. का भूखण्ड प्रस्तावित किया गया है। अतः खातेदार श्री गोपी पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/2, तेजा, मोती, रामू, गुल्ला पिता ग्यारसा, रामनारायण ना.बा. पुत्र ग्यारसा, छोटी देवी बेवा ग्यारसा, जाति–बलाई के नाम इस अवाप्त भूमि का देय मुआवजा–स्वरूप 15 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि के संदर्भ में वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जयपुर के द्वारा पारित निर्णय आदेश को अनुपालना में प्रस्तावानुसार खातेदारों/वारिसानों को उनकी अवाप्त भूमि का मुआवजा–स्वरूप देय 15 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि सेक्टर–26 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में ग्रुप–हाउसिंग हेतु आरक्षित भूमि में से क्षेत्रफल 227.60 व.मी. का भूखण्ड का आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	
222.28	राजस्थान आवासन मण्डल की राजआंगन योजना, सेक्टर–24 प्रताप नगर सांगानेर की भूमि के वाद संख्या 7/90/16 में अवाप्त भूमि के मुआवजें के 15 प्रतिशत विकसित आवासीय भूखण्डों के नवीन प्रस्ताव के संबंध में। (एनआरआई योजना)	राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ग्राम नगरियावाला के खसरा नं. 173, 174, 175, रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा भूमि अवाप्त की जाकर अवार्ड विशेषाधिकारी द्वारा दिनांक 05.05.94 को खातेदार श्री श्योकरण, गोपी, मूल्या पिता रामप्रताप, जाति–मीणा के नाम जारी किया गया। इनमें से कुछ अवार्डी की मृत्यु उपरान्त विशेषाधिकारी द्वारा संशोधित वारिसान आदेश क्रमांक 2067 दिनांक 22.12.95 को रिकार्ड में प्रतिस्थापित किये गये। इस अवाप्त भूमि का देय मुआवजा–स्वरूप 15 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि हेतु भूमि समझौता समिति की बैठक दिनांक 27.08.05 में सेक्टर–22 में मध्यम आय वर्ग–अ के	Secretary

		5 भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 493.135 व.मी. देने का निर्णय लिया गया, जिसकी राज्य सरकार से स्वीकृति दिनांक 03.10.05 को प्राप्त हुई। राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति दिनांक 03.10.05 के क्रम में खातेदारों से वांछित अनुबंध पत्र, सहमति पत्र, शपथ पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण देय भूखण्डों के आवंटन पत्र जारी नहीं किये जा सके तथा खातेदारों द्वारा प्रकरण में 15 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत भूमि (विकसित भूखण्ड) की मांग करते हुए माननीय न्यायालय में रिट पिटीशन संख्या 6267/2012, 6269/2012, 6271/2012 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.14 को आदेश पारित कर मण्डल को निर्देशित किया गया कि मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा अन्य खातेदारों को दिये गये मुआवजे के अनुरूप ही दो माह की अवधि में अपीलार्थी/खातेदारों को 15 प्रतिशत विकसित भूखण्ड मुआवजा– स्वरूप दिया जावे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय एवं उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम के द्वारा खातेदारों को मुआवजा–स्वरूप 15 प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिये जाने हेतु खातेदारों की अवाप्त भूमि के पास ही स्थित सेक्टर–26 में ग्रुप–हाउसिंग उपयोग हेतु आरक्षित भूमि (इसी योजना हेतु वाद सं. 7/90/20 की अवाप्त भूमि में से ही) जो 100 फीट चौडी रोड पर स्थित है, में देय भूखण्ड क्षेत्रफल 493.135 व.मी. का भूखण्ड प्रस्तावित किया गया है। अतः खातेदार श्री श्योकरण, गोपी, मूल्या पिता रामप्रताप जाति मीणा के नाम इस अवाप्त भूमि का देय मुआवजा–स्वरूप 15 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि के संदर्भ में वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जयपुर के द्वारा पारित निर्णय आदेश की अनुपालना में	

		प्रस्तावानुसार खातेदारों/वारिसानों को उनकी अवाप्त भूमि का मुआवजा–स्वरूप देय 15 प्रतिशत विकसित आवासीय भूमि सेक्टर–26 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में ग्रुप–हाउसिंग हेतु आरक्षित भूमि में से क्षेत्रफल 493.135 व.मी. का भूखण्ड का आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	
222.29	भूमि अवाप्ति के पेटे 15 प्रतिशत विकसित. भूमि के पेटे राज्य सरकार नगरिय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ7(70) नविवि/3/02 दिनांक 26.07. 2002 में वर्णित अनुसार इसके अतिरिक्त खातेदार/भू स्वामी अथवा उसके मुख्तयार की ओर से नामित व्यक्तियों को भुखण्ड आवंटित नहीं करने के संबंध मे।	विचार–विमर्श कर नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.7(70)नविवि/3/2002, दिनांक 26.7.02 में वर्णित अनुसार भूखण्ड मुख्त्यारआम/खास के नाम आवंटित नहीं किया जाकर मूल खातेदारान के नाम जरिये रजिस्टर्ड मुख्त्यारआम/खास को आदेशित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसे प्रकरणों में नामित व्यक्तियों को विकसित भूखण्डों के पट्टे नहीं देकर मूल अवार्डी /मूल अवार्डी की मृत्यु होने पर उनके वारिसानों के नाम ज़ारी किया जाना ही उचित प्रतीत होता हैं। अतः उक्तानुसार संशोधन करने हेतु नगरीय विकास विभाग को पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
222.30	राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम–2010 के नियम – 7 के बिन्दु संख्या – 3 में अंकित निर्धारित दिनांक 10.04.2006 के स्थान पर नवीन संशोधित दिनांक 10.04.2009 किये जाने बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	Secretary
222.31	500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्डों में राजस्थान आवासन मण्डल के टाईपडिजाईन अनुसार अहस्थान्नतरित योजनाओं में भूतल+प्रथम तल (अधिकतम 8.00मीटर उचाई) की स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	ACTP
222.32	खण्ड भिवाडी द्वारा 100 मीटर से बडे 112.50 वर्गमीटर के 30 व्यावसायिक भूखण्डों का खुली बोली के स्थान पर मोहरबंद	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई तथा निर्देशित किया गया कि राजस्थान आवासन मंडल में ई–ऑक्शन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के संबंध में विचार करते हुये शीघ्र	FA

	नीलामी से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति बाबत्।	कार्यवाही की जावे तथा प्रगति से अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया जावे।	
222.33	सेक्टर–08 जोन–84 मानसरोवर में नीलामी द्वारा आवंटित वाणिज्यिक भूखण्डो के संबंध में।	समयाभाव के कारण प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।	CEM
222.34	डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय योजना, नागौर में मध्यम आय वर्ग–अ के 169 आवासों के निर्माण हेतु संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	समयाभाव के कारण प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।	CE II
222.35	संस्थानिक प्रयोजन भूमि आंवटन के प्रकरणों में पंजीकरण पुस्तिका मुल्य एवं प्रोसेसिंग चार्जेज के संबंध में।	समयाभाव के कारण प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।	CEM
222.36	अधिवक्ताओं को ग्रुप हाउसिंग योजना हेतु 5 प्रतिशत भूमि का आरक्षण किये जाने के संबंध में।	समयाभाव के कारण प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।	CEM
222.37	द्वारकापुरी योजना के फेज प्रथम में निर्माणाधीन 2976 फलेटों के लिये मूल्यवृद्वि (Price Escalation) के भुगतान एवं कार्य सम्पादन में घटित विलम्ब के लिये एल.डी. की कटौती बाबत्।	समयाभाव के कारण प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।	CE I
222.38	दस्तकार नगर योजना ग्राम, नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, के संबंध में वर्तमान वस्तुस्थिति की रिर्पोर्ट।	समयाभाव के कारण प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।	CE I

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

2/7/14

(दिनेश कुमार पंवार)
सचिव

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 223 वीं बैठक दिनांक–13.08.2014 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1	श्री अशोक जैन,	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	–अध्यक्ष
2	श्री अशोक जैन	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	–सदस्य
3	श्री आनन्द कुमार	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	–सदस्य
4	श्री सिद्वार्थ महाजन	शासन सचिव, वित्त–प्रथम(व्यय), राजस्थान सरकार, जयपुर	–सदस्य
5	श्री सुबेसिंह यादव	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	–मण्डल सचिव

मुख्य नगर नियोजक, श्री प्रवीण जैन द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थत्ता व्यक्त की गई। इसकी अनुमति प्रदान की गई।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :–

1	श्री आर.के. भटट्	मुख्य अभियन्ता–मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल
2	श्री घनश्याम बाघेला	मुख्य अभियन्ता–प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल
3	श्री के.सी. मीणा	मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल
4	श्री डी.सी. चौधरी	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल
5	श्री दिलीप सिहं बारहट	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राज. आवा. मण्डल
6	श्री नत्थुराम	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम, राज. आवा. मण्डल
7	श्री करण सिंह गोठवाल	उप सचिव, राज. आवा. मण्डल
8	श्री एम.के. शर्मा	तक. सहायक, आवासन आयुक्त, राज. आवा. मण्डल
9	श्री सतीश कुमार शर्मा	वरिष्ठ नगर नियोजक, राज. आवा. मण्डल
10	श्री वृन्दावन बिहारी माथुर	वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक, राज. आवा. मण्डल
11	श्री रामफुल गुर्जर	सहायक निदेशक (जन सम्पर्क), राज. आवा. मण्डल

कार्यवाही विवरण

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
223.1	दिनांक 17.06.2014 को सम्पन्न हुई मंडल की 222वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	222वीं बैठक दिनांक 17.06.2014 के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary

223.2	दिनांक 17.06.2014 को सम्पन्न हुई मंडल की 222वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन।	222वीं बैठक की क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। विचारणीय बिन्दु संख्या 222.11 के निर्णय की पालना अपेक्षित है।	Secretary
223.3	मंडल की विभिन्न समितियों के निर्णयों की पुष्टि।		Secretary
	223.3.1 सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 08.07.2014 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि ।	सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 08.07.2014 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।	CEM
	223.3.2 कार्य समिति की बैठक दिनांक 04.03.2014 एवं 28.05.2014 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।	कार्य समिति की बैठक दिनांक 04.03.2014 एवं 28.05.2014 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।	TA CE (HQ)
223.4	दिनांक 17.06.2014 को आयोजित संचालक मण्डल की 222वीं बैठक में समयाभाव के कारण चर्चा न हुये विचार बिन्दुओं के पुनः संचालक मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।		Secretary

222.33	सेक्टर–08 जोन–84 मानसरोवर में नीलामी द्वारा आवंटित वाणिज्यिक भूखण्डो के संबंध में।	CEM	62-64	प्रस्ताव राज्य सरकार को अपने निर्णय पर पुर्नविचार हेतु भेजा है उसे माननीय न्यायालय में स्थगन को देखते हुऐ वापस (With Draw) किया जाता है। न्यायालय में लंबित प्रकरण में निर्णय की प्रतिक्षा की जावें।
222.34	डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय योजना, नागौर में मध्यम आय वर्ग–अ के 169	CEII	65-66	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।

	आवासों के निर्माण हेतु संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।			
222.35	संस्थानिक प्रयोजन भूमि आंवटन के प्रकरणों में पंजीकरण पुस्तिका मुल्य एवं प्रोसेसिंग चार्जेज के संबंध में।	CEM	67-71	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। राजकीय विभागों को संस्थागत प्रयोजनों हेतु आवंटन हेतु पुस्तिका मुल्य व प्रोसेसिंग चार्जेज नहीं लेने कि स्वीकृति प्रदान की गई।
222.36	अधिवक्ताओं को ग्रुप हाउसिंग योजना हेतु 5 प्रतिशत भूमि का आरक्षण किये जाने के संबंध में।	CEM	72-74	प्रस्ताव का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया कि उक्त ग्रुप हाउसिंग योजना हेतु आरक्षित आवासों के रख रखाव का उत्तरदायित्व अधिवक्ताओं की समिति का होगा।
222.37	द्वारकापुरी योजना के फेज प्रथम में निर्माणाधीन 2976 फ्लेटों के लिये मूल्यवृद्वि (Price Escalation) के भुगतान एवं कार्य सम्पादन में घटित विलम्ब के लिये एल. डी. की कटौती बाबत्।	CE I	75-100	विस्तृत विचार विर्मश के पश्चात निर्णय लिया गया कि संस्था को कार्य की गति बढाने की शर्त के साथ ही दिनांक 31.03. 2014 तक का Escalation राशि का भुगतान संवेदक द्वारा निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु कार्य योजना प्रस्तुत करने के पश्चात किया जावे। परियोजना में विलम्ब होने के मध्यनज़र समय पर पूर्ण करने हेतु संवेदक द्वारा माईवान सटरिंग की अविलम्ब अतिक्ति सेट की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी।

	222.38 | दस्तकार नगर योजना ग्राम, नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, के संबंध में वर्तमान वस्तुस्थिति की रिर्पोर्ट। | CE I | 101-153	राज्य सरकार, जयपुर विकास प्राधिकरण व अल्पसंख्यक विभाग को राशि जमा कराने हेतु व दस्तकारों को आवंटन के दिशानिर्देश तैयार करने हेतु लिखा जावें ताकि आवंटन की कार्यवाही की जा सकें। प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	
223.5	दी राजहंस को–आपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड को समिति द्वारा मालवीय नगर योजना में सडक निर्माण हेतु समर्पित 728 वर्ग मीटर भूमि के स्थान पर अन्य भूमि प्रताप नगर योजना में आंवटित करने के संबंध में।	दी राजहंस को–आपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड को भूमि आवंटन के संबंध में जांच हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम, उप आवासन आयुक्त, तहसीदार, आवासीय अभियन्ता एवं वरिष्ठ नगर नियोजक की समिति का गठन किया जावें जो जांच कर तीन माह में रिर्पोट प्रस्तुत करें। न्यायालय से स्थगन है अतः कोई कार्यवाही से पूर्व विस्तृत जांच की जावें।	Secretary
223.6	Ex-post facto approval of the tender for the const. fo water supply scheme including three years O&M at RHB colony, Suwana, Bhilwara.	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-HQ
223.7	प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के सेक्टर–23 में सव वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग–"अ" (एस+10) 80 फ्लेटस के कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-I

223.8	अरावली विहार योजना, भिवाडी के लम्बित पंजीकृत मण्डल कार्मिकों हेतु उच्च आय वर्ग (8.00 मी. X 16 मी.) के 139 आवासों के निर्माण हेतु रुपये 1581.79 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने अथवा खोरी कला योजना में आवास उपलब्ध कराने के निर्माण बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-I
223.9	अरावली विहार योजना, भिवाडी के लम्बित पंजीकृत मण्डल कार्मिकों हेतु मध्यम आय वर्ग "ब" के 62 आवासों के निर्माण कि लिये रुपये 527.01 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने अथवा खोरी कला योजना में आवास उपलब्ध कराने के निर्माण बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-I
223.10	इन्दिरा गांधी नगर, सेक्टर-08, जयपुर में निर्मित किये जा रहे मध्यम आय वर्ग "ब" के 360 (बी+एस+9) बहुमजिले आवासों हेतु आकिटेक्चरल कन्सलटेन्सी की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।	FA
223.11	सामान्य भविष्य निधि जमा राशियों पर ब्याज दर के संबंध में	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
223.12	सी.एल. बंसल मेमोरियल ट्रस्ट को प्रताप नगर योजना में अस्पताल भवन के निर्माण हेतु आवंटित भूमि का आवंटन बहाल किये जाने बाबत्।	माननीय न्यायालय में लम्बित प्रकरण के निर्णय तक प्रतिक्षा की जावें।	CEM
223.13	पुरानी आवासीय योजना, हनुमानगढ में उच्च आय वर्ग के 78 पूर्ण आवासों का निर्माण कार्य हेतु संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 1029.34 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर अनुमोदन किया गया, गत वित्तीय पांच वर्षो में रिस्क व कोस्ट पर जो कार्यादेश जारी किये गये उन सभी प्रकरणों में संवेदकों से कुल कितनी राशि वसूली योग्य है ? कितनी राशि वसूल	CE-II

		की जा चुकी है ? कितनी राशि वसूली जानी शेष है एवं किन कारणों से उक्त राशि वसूल नहीं हो पा रही है, विस्तृत जांच अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम द्वारा की जाकर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का भी निर्णय लिया गया।	
223.14	डा. भीमराव अम्बेडकर आवासीय योजना, नागौर में अल्प आय वर्ग के 300 आवासों के निर्माण हेतु संशोधित प्रशासिनक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 1355.11 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-II
223.15	राजस्थान आवासन मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अनाधिकृत अस्पतालों में कराये गये ईलाज में चिकित्सा राशि का पुनर्भरण के संबंध में।	राजस्थान आवासन मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों श्री टी.सी. सेवटा, आवासीय अभियन्ता, श्री महेश चन्द गुप्ता, लेखाकार एवं श्री के. एल. बिस्सा, सुपरवाईजर द्वारा अनाधिकृत अस्पतालों में कराये गये ईलाज में चिकित्सा राशि का पुनर्भरण भुगतान सवाईमान सिंह अस्पताल द्वारा निर्धारित दरों एवं राज्य सरकार के आदेशानुसार किये जाने की स्वीकृती प्रदान की गई । परन्तु इस आधार पर कोई पुराने प्रकरण रिऑपन (Reopen) नहीं किये जावेंगे।	FA

223.16	मण्डल योजनाओं की वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित भूमि एवं विकास दरों की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
223.17	राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम–2010 में पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव में नियमानुसार 1/3 अवधि की छूट प्रदान करने बाबत्।	लेखाधिकारी– 8 पद, सहायक लेखाधिकारी– 12 पद, सम्पदा प्रबन्धक–2 पद एवं सहायक आवासन अधिकारी–3 पदों के पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव में नियमानुसार 1/3 अवधि की छूट दिये जाने की स्वीकृती प्रदान की गई।	Secretary
223.18	रामअवतार गुप्ता आई एण्ड जनरल हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड के निरस्त आवंटन को बहाल किये जाने बाबत्।	पूर्व निर्णय पर पुर्नविचार का युक्तियुक्त कारण नहीं है। अतः आवंटन बहाल नहीं किया जा सकता।	CEM
223.19	संस्थानिक उपयोग हेतु आरक्षित भूखण्डों का निस्तारण।	विस्तृत विचार विर्मश कर संस्थानिक उपयोग हेतु आरक्षित भूखण्डों का निस्तारण खुली नीलामी द्वारा किये जाने एवं तदनुसार नियमों में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया।	CEM
223.20	नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 25.02.2011 के बिन्दु संख्या 6 के सबक्लॉज III, V, VI व VIII में दिये गये प्रावधानों के तहत राजस्थान आवासन मण्डल के अनुमोदित योजना में दर्शित उपयोग के	पूर्ण औचित्य सहित कारणों का उल्लेख करते हुये प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।	ACTP

	भू–उपयोग परिवर्तन की शक्ति राज्य सरकार के स्थान पर राजस्थान आवासन मण्डल को दिये जाने बाबत्।		
223.21	मण्डल द्वारा अधिकृत निजी चिकित्सालयों को बोर्ड बैठक से अनुमोदन करवाये जाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया तथा पूर्व में गठित समिति द्वारा निश्चित नियमों के निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
223.22	राजस्थान आवासन मण्डल की किशनगढ, जिला अजमेर आवासीय योजना में बाहय विधुतीकरण एवं स्ट्रीट लाईट कार्य हेतु रू 1525.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एंव कार्य विभाजन के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-I
223.23	राजस्थान आवासन मण्डल की योजनाओं में ग्रुप हाऊसिंग उपयोग हेतु आरक्षित भू–खण्डों पर भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु ई डब्ल्यू एस/एलआईजी फ्लेटस का प्रावधान नहीं दिया जाने बाबत्।	राज्य सरकार को कारणों व औचित्य दर्शाते हुऐ प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	ACTP

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(सुबेसिंह यादव)
सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 224 वीं बैठक दिनांक 04.12.2014 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुयी। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	श्री अशोक जैन	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री अशोक जैन	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
3.	श्री आनन्द कुमार	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
4.	श्री सुबेसिंह यादव	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य–सचिव

श्री सिद्धार्थ महाजन, शासन सचिव, वित्त–प्रथम (व्यय) एवं श्री प्रवीण जैन, मुख्य नगर नियोजक द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी।

बैठक में निम्न मण्डल अधिकारी भी उपस्थित रहे :–

1.	श्री के.सी. मीणा	मुख्य अभियन्ता–द्वितीय
2.	श्री जी.एस. बाघेला	मुख्य अभियन्ता–प्रथम
3.	श्री डी.सी. चौधरी	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
4.	श्रीमती श्रुति भारद्वाज	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक
5.	श्री डी.एस. बारेठ	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
6.	श्री नत्थूराम	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम
7.	श्री डी.के. माथुर	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय
8.	श्री राधेप्रताप सिंह	उप सचिव
9.	श्री अनिल कुमार कौशिक	सम्पदा प्रबन्धक (भूमि)
10.	श्री वृन्दावन बिहारी माथुर	वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक
11.	श्री अरुण जोशी	सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)

–:: कार्यवाही विवरण ::–

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
224.1	दिनांक 13.08.2014 को सम्पन्न हुई मण्डल की 223वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	223वीं बैठक दिनांक 13.08.2014 के निर्णयों की पुष्टि की गयी।	Secretary
224.2	दिनांक 13.08.2014 को सम्पन्न हुई मण्डल की 223वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन।	223वीं बैठक के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary

224.3	मण्डल की विभिन्न समितियों के निर्णयों की पुष्टि :–		
	224.3.1 विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17.09.14 एवं 13.10.14 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।	विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17.09.14 एवं 13.10.14 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।	Secretary
	224.3.2 कार्य समिति की बैठक दिनांक 13.08.14 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।	कार्य समिति की बैठक दिनांक 13.08.14 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।	CE (HQ)
224.4	डा. भीम राव अम्बेडकर, आवासीय योजना, नागौर में अल्प आय वर्ग (6.00 x 12.00 मीटर) 281 आवासों के निर्माण कार्य हेतु 1220.35 लाख संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।	योजना की लागत बढने का विस्तृत कारण एवं लागत बढने के लिये कौन–कौन जिम्मेदार है तथा अतिरिक्त राशि खर्च करने का औचित्य बताया जावे। जांच उपरान्त प्रकरण पुनः प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।	ACE-II, Jodhpur
224.5	आवंटन पत्र के अनुसार मांग राशि जमा कराने की अवधि बढाने हेतु।	पूर्व में पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अतः विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् मांग राशि जमा कराने की अवधि नहीं बढाये जाने का निर्णय लिया जाकर प्रस्ताव खारिज किया गया।	FA
224.6	परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) एवं विधि सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु मण्डल द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में जारी विज्ञप्ति दिनांक 21.02.2011 को निरस्त करने के संबंध में।	प्रकरण में विधिक राय प्राप्त कर तद्नुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।	Sr. PM
224.7	आवासीय योजना, बाडमेर में अल्प आय वर्ग (जी+3) 96 बहुमंजिले आवासों के निर्माण (40 बीघा भूमि बाडमेर, मगरा) हेतु राशि रुपये 833.28 लाख की कार्यात्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्ताव वापिस लिया गया।	ACE-II, Jodhpur
224.8	आवासीय योजना, बाडमेर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+3) 192 बहुमंजिले आवासों के निर्माण (40 बीघा भूमि बाडमेर, मगरा) हेतु राशि रुपये 1111.68 लाख की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी एवं यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही खर्चा किया जावे। स्वीकृति जारी होने से पूर्व 10 प्रतिशत से अधिक खर्चा नहीं किया जावे।	ACE-II, Jodhpur

224.9	मण्डल की आवासीय योजनाओं में विद्युत कार्यो के लिए तकनीकी निविदा के मूल्यांकन नियमों में आंशिक संशोधन की स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार आंशिक संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गयी।	ACE-I
224.10	मण्डल में बढते हुये आवासन शाखा से संबंधित कार्यो के मध्यनजर सम्पदा प्रबन्धक के 04 पद सृजित करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार सम्पदा प्रबन्धक के 4 पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।	Secretary
224.11	संस्थाओं को भूमि आवंटन पर उपरिव्यय के 25 प्रतिशत तथा कॉर्नर प्लाट होने की स्थिति में 25 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज लिये जाने के विलोपित प्रावधान को पुनः प्रतिस्थापित करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार संस्थाओं को भूमि आवंटन पर उपरिव्यय के 25 प्रतिशत तथा कॉर्नर प्लाट होने की स्थिति में 25 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज के विलोपित प्रावधान को पुनः लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय एतद्संबंधी आदेश प्रसारित होने की तिथि के पश्चात होने वाले आवंटन प्रकरणों में प्रभावी होगा।	FA
224.12	मण्डल द्वारा निष्पादित लागत सिद्धान्त–2010 के बिन्दु संख्या–16 के प्रावधान में संशोधन बाबत्।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।	FA
224.13	नीलामी में भाग लेने के लिए बोलीदाता को– राशि रुपये 10 करोड से कम मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यून्तम बोली मूल्य का 05 प्रतिशत अथवा 30.00 लाख जो भी कम हो, अमानत राशि के रुप में जमा कराने बाबत्। राशि रुपये 10 करोड एवं अधिक मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यून्तम बोली मूल्य का 05 प्रतिशत अथवा 50.00 लाख जो भी कम हो, अमानत राशि के रुप में जमा कराने बाबत्। अमानत राशि संशोधनार्थ।	प्रस्तावानुसार संशोधन स्वीकृति प्रदान की गयी।	FA
224.14	Ex-Post facto approval of tender for const. of HIG 72 nos. (B+S+9) flats at Dwarkapath, Mansarovar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।	CE-I
224.15	मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में अनिस्तारित आवास /फ्लेट्स अथवा संस्थाओं की चारदीवारी की लागत निर्धारण में लागत सिद्धान्त 2010 के नियम 12.01 में शिथिलता बाबत्।	प्रस्तावानुसार लागत सिद्धान्त 2010 के नियम 12.01 में शिथिलता की स्वीकृति प्रदान की गयी।	FA

224.16	Ex-Post facto approval of tender for Construction of Road at NEB Ext. Alwar (Remetalling and carpeting work)	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।	CE-I
224.17	राजस्थान आवासन मण्डल में पारिवारिक पेंशन की आयु 65 वर्ष से बढाकर 67 वर्ष करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।	FA
224.18	सेक्टर–26 जोन–263 प्रताप नगर, जयपुर में उच्च आय वर्ग (एस+10) के 80 फ्लेट्स ब्लॉक 2 के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।	CE-I
224.19	श्री सोहन लाल सुथार, सहायक, खण्ड भीलवाडा द्वारा व्यय की गयी चिकित्सा राशि के पुनर्भरण के संबंध में।	प्रस्तावानुसार श्री सोहन लाल सुथार द्वारा ईलाज पर व्यय की गई राशि रुपये 25428/– के पुनर्भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी।	FA
224.20	नई आवासीय योजना, हनुमानगढ में अल्प आय वर्ग (जी+2) 180 फ्लेट् के निर्माण हेतु राशि रु. 1660.17 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा कार्य का कार्य विभाजन की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।	CE-II
224.21	नई आवासीय योजना, हनुमानगढ में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+2) 288 फ्लेट् के निर्माण हेतु राशि रु. 1836.04 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं कार्य का कार्य विभाजन की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।	CE-II
224.22	आवासन मण्डल की बहुमंजिलिय फ्लेट्स में निःशक्तजन (विकलांग) को प्रथम तल पर आवास आवंटन किये जाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।	CEM
224.23	ग्राम कैरु, जोधपुर के खसरा नम्बर 812 में से राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना हेतु 1500 बीघा भूमि के आवंटन हेतु।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।	Secretary
224.24	राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना ग्राम पाली चक–2 में निजी खातेदारी भूमि की आपसी समझौते के आधार पर लिये जाने बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।	Secretary

224.25	सेक्टर–8, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में मध्यम आय वर्ग "ब" के 88 फ्लेट्स (बी+एस+11) के निर्माण हेतु रुपये 2257.00 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।	CE-I
224.26	इन्दिरा गांधी नगर विस्तार योजना (जगतपुरा), जयपुर में रेलवे को भूमि आवंटन के कारण स्वतंत्र आवासों की नियोजित योजना को पुनर्नियोजित कर जी+3 एवं बहुमंजिले फ्लेट्स के प्रावधान एवं खातेदारों को मुआवजे के बदले दिये जाने वाले विकसित भू–खण्डों को मुख्य सडकों/ स्थानों पर एक ही ब्लॉक में नियोजन हेतु।	प्रस्तावानुसार इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि आवंटन लॉटरी के माध्यम से किये जावे।	CE-I
224.27	Tender for the const of water supply scheme including three years O&M at RHB colony, K.G.R. Kishangarh (Ajmer).	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।	CE-I
224.28	राजस्थान इन्टीग्रेटेड डवलपमेन्ट इन्स्टीयूट को सेक्टर–6, प्रताप नगर, सांगानेर में आवंटित भूमि के मानचित्र अनुमोदन किये जाने हेतु प्रशासनिक निर्णय बाबत्।	विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि –दिनांक 17.11.2011 के पश्चात् हुये विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी/ कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावे। –15 दिवस में ए.सी.टी.पी. द्वारा नियमानुसार मानचित्र अनुमोदित किया जावे एवं निर्माण कार्य एक वर्ष की अवधि निर्धारित की जावे। –संस्था के द्वारा 2 वर्ष की अवधि में मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस हेतु वह स्वयं जिम्मेदार है। अतः मण्डल स्तर पर हुये विलम्ब अवधि को घटाते हुये शेष विलम्ब अवधि के लिये मण्डल के आदेश क्रमांक 768 दिनांक 12.08.2013 के अनुसार संस्था पर पेनल्टी लगायी जाकर वसूल की जावे।	CEM

224.29	फ्लेट संख्या–1/ एफ/ 34, मालवीय नगर, जयपुर को अतिरिक्त भूमि आवंटित करने एवं फ्लेट संख्या–1/ एफ/ 39, 1/एफ/36 में अवैध निर्माण के संबंध में।	विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् यह तय किया गया कि चूंकि रजिस्ट्री हो चुकी है। अतः समाधान बाबत सुझाव प्रस्तुत करने हेतु कमेटी गठित की जाकर विधिक राय प्राप्त की जावे।	CEM
224.30	कार्य समिति की बैठक संख्या 03/2014–15 दिनांक 30.10.14 के निर्णयों की पुष्टि बाबत्।	कार्य समिति की बैठक संख्या 03/2014–15 दिनांक 30.10.14 के निर्णयों की पुष्टि की गयी।	CE-I

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत विचारार्थ प्रस्तावित बिन्दुओं की सूचीः–

224.31	Ex-Post facto approval of tender for S.I.T.C. machine room less elevators 20 nos. for MIG-B (S+6) 240 nos. flats at sector-18, Pratap Nagar, Jaipur. Construction of Road at NEB Ext. Alwar (Remetalling and carpeting work)	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।	CE-I
224.32	राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय कॉलोनी डी.टी.ओ. हनुमानगढ में जल आपूर्ति योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।	CE-I

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 225 वीं (बजट) बैठक दिनांक 28.01.2015 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुयी। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	श्री अशोक जैन	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री अशोक जैन	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
3.	श्री आनन्द कुमार	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
4.	श्री शंकर लाल कुमावत	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य-सचिव

श्री सिद्धार्थ महाजन, शासन सचिव, वित्त-प्रथम (व्यय) द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी। श्री प्रवीण जैन, मुख्य नगर नियोजक के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण श्रीमती इन्दिरा चौधरी, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक इनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुई।

बैठक में निम्न मण्डल अधिकारी भी उपस्थित रहे :-

1.	श्री के॰सी॰ मीणा	मुख्य अभियन्ता-द्वितीय
2	श्री डी॰सी॰ चौधरी	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
3	श्रीमती श्रुति भारद्वाज	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक
4	श्री आई॰एम॰दानोदिया	वरिष्ठ लेखाधिकारी
5	श्री एम॰के॰बडजात्या	लेखाधिकारी
6	श्री वृन्दावन बिहारी माथुर	वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक
7	श्री अरुण जोशी	सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)

-:: कार्यवाही विवरण ::-

बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
225.1	दिनांक 04.12.2014 को सम्पन्न हुई मण्डल की 224वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	समयाभाव के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।	Secretary
225.2	दिनांक 04.12.2014 को सम्पन्न हुई मण्डल की 224वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन।	समयाभाव के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।	Secretary

225.3	मण्डल की विभिन्न समितियों के निर्णयों की पुष्टि :— कार्य समिति की बैठक दिनांक 15.12.14 एवं 13.01.15 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।	समयाभाव के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।	CE (HQ)
225.4	मण्डल कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2013—14 का बोनस/अनुग्रह राशि तथा उपहार राशि के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमोदनार्थ।	समयाभाव के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।	FA
225.5	बाबा मोहनराम एन्कलेव भिवाड़ी में मध्यम आय वर्ग—I (जी+3) 88 फ्लेट्स के निर्माण कार्य हेतु संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन बाबत।	समयाभाव के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।	ACE-I
225.6	संशोधित बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2014—15 एवं बजट अनुमान 2015—16 को आगामी बोर्ड बैठक में स्वीकृति हेतु रखवाने बाबत्।	मण्डल बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत राजस्थान आवासन मण्डल के संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2014—15 का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया एवं वर्ष 2015—16 के प्रस्तावित बजट प्रस्तावों का निम्नानुसार संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया :— **वसूली संग्रह** — वसूली संग्रह के पेटे 109292.27 लाख रू॰ के प्रस्तावों को 129292.27 लाख हेतु संशोधित किया गया। इसके कारण 1000.00 लाख रूपये राजस्व प्राप्तियों में बढोतरी का संशोधन किया गया। वर्ष 2015—16 के दौरान आरम्भ की जाने वाली 4587 प्रस्तावित नई आवासीय इकाईयों को 8400 हेतु संशोधित किया गया एवं वर्ष के दौरान पूर्ण किये जाने वाली इकाईयों 7559 के स्थान पर 10560 इकाईयों का संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया गया।	FA

225.7	आवासन मण्डल में वरिष्ठ लेखाधिकारी के 02 पद (एक प्रतिनियुक्ति एवं एक पदोन्नति का पद) को उप वित्तीय सलाहकार (Dy.FA) के पद पर क्रमोन्नत किये जाने बाबत्।	समयाभाव के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।	Secretary

अध्यक्ष महोदय द्वारा नये भूमि अवाप्ति अधिनियम लागू होने के एक वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी मण्डल द्वारा भूमि अवाप्ति के संबंध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया एवं निर्देश प्रदान किये गये कि भूमि अवाप्ति के प्रकरणों की मॉनीटरिंग की जावे तथा जो प्रकरण लम्बित है, उनका शीघ्र निस्तारण कराने हेतु राज्य सरकार स्तर से प्रभावी कार्यवाही कराई जावे ।

साथ ही निर्देश दिये गये कि 15 दिवस में आवासीय अभियन्ताओं की बैठक आयोजित कर उनसे उनके क्षेत्र में उपलब्ध भूमि का आडिट कराया जावे एवं आवासीय/वाणिज्यिक/संस्थानिक भूमि की जानकारी प्राप्त कर उपलब्ध भूमि का आवासों के निर्माण/नीलामी के माध्यम से शीघ्र निस्तारण किया जावे। आवासीय अभियन्ताओं से उनके क्षेत्र में उपलब्ध हो सकने वाली राजकीय/निजी भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त किये जावें ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि बजट में निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के लिये संबंधित अधिकारियों की बैठक ली जावे एवं इसका प्रभावी पर्यवेक्षण किया जावे। आवासीय अभियन्ताओं को वसूली के लक्ष्य प्राप्ति हेतु पाबन्द किया जावे एवं बकायादारों को वसूली के नोटिस जारी करने के साथ–साथ समाचार पत्रों में विज्ञप्ति भी जारी की जावे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(शंकर लाल कुमावत)
सचिव